

Seventeenth Loksabha

an&gt;

**Title : Motion for consideration of the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fourth Amendment) Bill, 2022 (Motion adopted and bill passed).**

**माननीय अध्यक्ष:** आइटम नम्बर 26, माननीय मंत्री जी ।

**जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा):** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि कर्नाटक राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में आशोधन करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।”

**माननीय अध्यक्ष:** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

“कि कर्नाटक राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में आशोधन करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।”

**SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA):** Thank you, hon. Speaker, for giving an opportunity to participate in the discussion on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fourth Amendment) Bill, 2022.

**16.06 hrs.**

(Shri N. K. Premachandran *in the Chair*)

The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fourth Amendment) Bill, 2022 was introduced in the Lok Sabha on 9<sup>th</sup> December, 2022. It seeks to amend the list of Scheduled Tribes in the State of Karnataka. The Constitution empowers the President to specify the list of Scheduled Tribes, and the Parliament is vested with the power to modify the list of Scheduled Tribes so notified under Article 342. The present Bill, therefore, amends the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950. It

seeks to modify the list of Scheduled Tribes in relation to Karnataka, based on the request of the State Government of Karnataka, to include the “Betta-Kuruba” community in the list of Scheduled Tribes. There are currently 50 communities listed as Scheduled Tribes in Karnataka. The Bill seeks to include “Betta-Kuruba” community as synonym of “Kadu Kuruba” in entry 16 in the list of Scheduled Tribes of Karnataka. The Government has not estimated the additional cost which will be incurred due to the amendment.

All the expenditure on the benefits accrued to the people who live in the communities outlined in the Bill, as part of the ongoing programme for the welfare of the Scheduled Tribes, shall be included within the Government’s allocated budgetary outlay.

In the past also, in this House, I had suggested that the State Governments have recommended so many communities for inclusion in the list of Scheduled Tribes. I have no objection to it. If any community is eligible for inclusion in the list of Scheduled Tribes, the Government of India can bring a legislation in this regard. We welcome it. At the same time, reservation quota of the community is not enhanced. In this House, during this Session, we are including so many communities in various States like Karnataka, Tamil Nadu, Himachal Pradesh, and tomorrow, Chhattisgarh. Those communities are absolutely eligible for that. There is no doubt about that. But, at the same time, in the present situation regarding reservation, these communities are getting a meagre quota. The reservation quota for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is very meagre. The population of both Scheduled Castes and Scheduled Tribes has increased. There is no caste census; there is nothing. But quota has also not increased. But, at the same time, due to compulsion of the State Governments, due to political pressure, and due to vote bank, the Government is bringing this legislation.

The existing tribal communities are not getting sufficient reservations. Similarly, allocation under either the Union Budget, TSP, or Department has not

been increased. A number of communities have been inserted in the List of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Government has to act responsibly and increase the reservation quota for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as also increase allocation for their ongoing welfare schemes. The Government has not been increasing allocation on this count, and hence I would request the hon. Minister to address this issue.

The Government has not estimated the additional cost which will be incurred due to this amendment. I have already mentioned about the expenditure on the benefits accrued to the people who live in the communities outlined in the Bill.

Sir, what is the situation with regard to the crimes committed against the Scheduled Tribes? According to the National Crime Records Bureau, the crime against the Scheduled Tribe communities has increased by 6.4 per cent. There were 8,802 cases registered in 2021. At the end of 2021, 12,159 cases of atrocities against Scheduled Tribes, including those from the earlier year, were still under investigation. The conviction rate for Scheduled Tribes under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, along with the Indian Penal Code, was 28.1 per cent. At the end of 2021, 95.4 per cent cases of atrocities against Scheduled Tribes were pending trial. Further, violence against Adivasi women had also risen. Women from the Scheduled Tribe communities account for 15 per cent out of the total cases of violence against women. The NCRB Report, 2021 also provided details on specific rape crimes, such as minor rape cases, attempted rape cases, assaults on women to outrage their modesty, and kidnapping of women and minors, which collectively accounted for 26.8 per cent of Scheduled Tribe women. According to the guidelines of the NITI Aayog on the allocation for the welfare of the Scheduled Tribes, it is mandatory to allocate an amount that is proportionate to tribal population. However, the allocation in FY 2022-23 was not proportionate, and the SC/ST Budgets have a shortfall of Rs.40,634 crore and Rs.9,399 crore respectively. The Budget for schemes aimed at creating jobs for the Scheduled Tribes in the Union Budget 2022-23 has been substantially decreased

from Rs.89.5 crore last year to Rs.11.3 crore this year. The current year's labour welfare scheme for Scheduled Tribes saw a decrease from the previous year's Rs.12.9 crore to Rs.10.66 crore. The budget for Scheduled Tribes also lacked significant funding in areas like education and safety of women. I am not going into further details. Sir, the BJP-led Karnataka Government has time and again prioritised dominant caste issues, leaving many tribal communities to fight for their rights. In response to a query raised in the Lok Sabha, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has stated that around 2,60,779 land titles are yet to be distributed. Out of 2,75,446 applications received until 2020, only 14,667 land titles have been distributed.

Among its southern counterparts, Karnataka is the worst in distributing land deeds. The long delay was also owing to the chaos of setting up the Cabinet under the present Government. Reports show that Karnataka is the third highest State with forest under encroachment in India. More than 83,000 hectares of land, in Karnataka, is under encroachment. The Government's disregard for tribal concerns threatens the process of resettlement of many tribal families in Karnataka.

About four hundred tribal families have been settled in Nagarhole Tiger Reserve for years. Due to reducing forest cover, Betta-Kuruba, Jenu Kuruba, Yeravas and Soligas have been encountering nuisance by animals, and are experiencing denial of basic facilities like healthcare, transport and connectivity, and education. ... (*Interruptions*) The process of resettlement faced multiple setbacks especially due to mismanagement of funds.

The Karnataka Government has increased the reservation for Scheduled Tribes from three to seven per cent in 2022. However, the forest dwellers in some of the areas of Mysuru region, particularly in the districts of Mysuru and Kodagu, have been demanding internal reservation. Tribes that live in forests, including Jenu Kuruba, Kadu Kuruba, Betta-Kuruba, Soliga, and others, do not have access to education or employment opportunities. Therefore, these forest-dwelling tribes are

demanding an internal reservation among Scheduled Tribes to ensure representation. This is the overall situation in the State of Karnataka. The tribal community is facing several issues. These are some of the important issues.

Hon. Chairperson, Sir, I am not going into the details. This Bill is related to the State of Karnataka. The tribal community, throughout the country, is facing a severe crisis. There are a number of issues concerning the tribal community. But the Government of India is not addressing all the issues, which include, unemployment, education, health, budget allocation, etc. The tribal community is facing a number of issues. But the Government is not addressing such issues, particularly in Karnataka.

With these words, I conclude. Thank you.

**HON. CHAIRPERSON:** Thank you very much, hon. Member.

I request all the hon. Members that when an hon. Member is on his legs, please do not cross between him and the Chair. That is the convention of the House. That is the rule of the House. But unfortunately, even most of the senior Members are coming in between the hon. Member – who is speaking – and the Chair. Please keep this in mind.

The next speaker is Dr. Umesh G. Jadav *Ji*.

**DR. UMESH G. JADAV (GULBARGA):** Hon. Chairperson, Sir, thank you.

I rise here in support of the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fourth Amendment) Bill, 2022 pertaining to Karnataka for the inclusion of ‘Kadu Kuruba and Betta-Kuruba’.

Hon. Chairperson, Sir, today, I am very happy because, कहा जाता है कि ‘जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि’ और जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा है, वहां आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार और बोम्बई जी की सरकार पहुंच रही है। ये छोटे-छोटे समाज जो आज तक

दुःख और तकलीफ झेलते आए हैं, उनको आइडेंटिफाई करके हमारी कर्नाटक सरकार, बोम्बई जी की सरकार ने कडु कुरुबा और जेनु कुरुबा को एसटी सूची में अमेंडमेंट करके लाने के लिए रेक्मेंड किया है। आज मैं पूरे कर्नाटक की तरफ से माननीय मुंडा जी और माननीय नरेन्द्र मोदी जी को शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद करता हूं। आज यह एक ऐतिहासिक काम हुआ है।

Hon. Chairperson, Sir, I would like to talk about 'Kadu Kuruba'. The Kadu Kuruba are a tribal people who live in South India. Their name means 'tribal people of the forest' in the language of Kannada. Since medieval times they served as soldiers in the armies of South India. Up until recent times, they collected and sold honey as their main source of income. They weaved baskets and items from bamboo as another way to get income.

In 1970s, the Kadu Kuruba were removed from their forest homes by the Indian Government. The trees were cut down for lumber and the land was cleared for cultivation. The Kadu Kuruba must now work as agricultural labourers. As low as their previous standard of living was, it has become lower. These days, they suffer from malnutrition, poverty, unemployment, and repression. Their forest homeland was distributed to the businesses and individuals favoured by the Government. The Kadu Kuruba speak Kannada as their primary language. They also speak other regional languages.

Sir, the Betta Kuruba community whose number is less than one lakh are spread across the most backward and remote areas of Mysore, Chamarajanagar and Kodagu districts.

**16.20 hrs.**

(Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair*)

This is the much-awaited Amendment Bill bought by the Union Government. Today, our Government of Karnataka Bommai Ji has raised the ceiling limit of reservation for ST from three per cent to seven per cent. Many welfare schemes are being undertaken. Sir, there are other issues in Karnataka. Scheduled Tribe people are facing many problems. There is one community called Koli Community. They

are called by different names in that region such as Koli, Kabbaliga, Bestha and Ambiga. All are different names of the same community. However, some are in Scheduled Tribes category. I should thank the Central Government. This Tadoba community is included in Scheduled Tribe and certificates are being issued. The Bommai Government has also given the notification to give ST certificate to the Tadoba Samaj. However, there are many other issues. This unanimous terminology of Koli samaj should be considered and further in future, such amendments should be brought and they should be given ST tag, at the earliest. Sir, at the same time, there are Kuruba and Gonda communities. Most Gonda community people are in my Constituency. Their fathers, their grandfathers, forefathers are from Gonda community. They were STs. Their grandfathers were given ST certificates. Now, their children are not being given ST certificates. Though it was recommended to give ST certificate, they are facing a lot of difficulties. Through you, I would request our hon. Minister Shri Arjun Munda Ji to send the recommendation. The people should not suffer. In spite of the Government's order, a lot of people are suffering from such injustice.

Sir, I sincerely request our Government of India and the Government of Karnataka to include all these Gonda community as Scheduled Tribe and Kuruba-Bestha community also in the Scheduled Tribe. In all of India, Banjara-Lambadi community is there. They are also Scheduled Tribes in Telangana and in Andhra Pradesh. In Karnataka, Banjara community is in Scheduled Caste. These Banjara-Lambadi community are spread in 22 States of India. Many States have already recommended that Banjara-Lambadi community has to be included in ST. I request the Government of India to consider their request and consider them as ST and also one special purpose vehicle must be set up for the Banjara-Lambadi community to have this special status. If they are not included in Scheduled Tribe, at least they should get some benefits. Their economic condition, social condition, and education condition is very pathetic. At the all-India level, one special purpose vehicle should be set up. This is my sincere request.

I, once again, thank you hon. Chairman, Sir, for allowing me to speak on this issue.

**SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR):** Thank you, hon. Chairperson, Sir, for allowing me to speak on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fourth Amendment) Bill, 2022.

Sir, the Bill seeks to include Kadu Kuruba and Betta Kuruba Tribes of Karnataka into the list of Scheduled Tribes. They have been demanding to be included in this Scheduled Tribes category for the last 30 years. So, it is a welcome step and I support the decision of the Government.

The Government has come with four separate Bills with the same objective for inclusion of tribal communities in the ST category. Today is the fourth day of discussion that we have been taking part in the discussion and one or two more days may be required to complete the discussion. Instead of four Bills, the Government could have brought a comprehensive Bill, as rightly pointed by a couple of Members. But I do not want to go further into this point.

In the post-Independence era, tribal land has gradually been taken away by industries, dams, mines, weaponry testing, reserved forests, railways, transport, and for such other purposes. This shows the magnitude of development-induced displacement. Once proud communities living self-sufficiently have now been reduced to landless refugees, struggling to survive. To come under the purview of rehabilitation and getting compensation, land deed is one of the most important documents. But majority of the tribal communities do not have land records to establish their claim.

I would like to know from the hon. Minister when the Government intends to resolve these burning issues by giving importance to the implementation of the

Fifth Schedule of the Constitution. It is not just this point but an expert, Shri R.V. Chandrasekhar Ramanahalli of Centre for Studies of Social Exclusion and Inclusive Policy, National Law School of India University, Bengaluru has conducted an extensive study on the rehabilitation and resettlement of tribal communities in Karnataka. He informs that Village Forest Committees or Gram Sabhas are constituted in such a manner that no one speaks about the right of the tribals in the forest. This is the scenario in our country. I request the hon. Minister to take note of this aspect.

According to the 1991 census, nearly 70 per cent of the tribals are illiterate. Though the Government had sanctioned record number of Eklavya Model Residential Schools, these institutions have been suffering from severe lack of teaching staff and poor infrastructure. Has the Ministry taken up the matter with the Ministry of Human Resource Development to fill up the vacant posts as early as possible?

Inclusion of more tribals in the list of Scheduled Tribes category is not enough but allocation of more fund is the need of the hour for overall development in order to prevent them from becoming Maoists. This is possible only through developmental programmes. I would like to bring to the attention of the House that the Government of West Bengal, under the leadership of our hon. Chief Minister, Kumari Mamata Banerjee, has proved it in Jangal Mahal through implementation of developmental schemes. These schemes relate to providing education, skill development, free ration, road connectivity, supply of drinking water, and electricity. The hon. Prime Minister called for TB Mukht Bharat by 2025. In order to achieve this target, malnutrition has to be eradicated because malnutrition leads to secondary immuno-deficiency that increases the risk of infection. In patients with tuberculosis, it leads to reduction in appetite and alters metabolism leading to wasting. All these components, namely, malnutrition, stunting, and wasting are measures of calculating Global Hunger Index. Sir, how much ever the Government

says that the calculation method of Global Hunger Index is wrong, it is an indication of the serious situation in India.

The majority share of the people suffering from it are from SCs, STs and other under-privileged people. How will the Government ensure that they have access to proper nutrition in order to achieve the target of TB Mukht Bharat?

Finally, on 28<sup>th</sup> February, 2022, the Government of West Bengal had sent a proposal to the Central Government for inclusion of 11 tribal communities, namely, Khas, Rai, Bhujel, Jogi, Newar, Mangar, Thami, Sunuwar, Mukhia, Gurung, Dewan, Dimang which have already been acknowledged by the Minister of States for Tribal Affairs in his reply on 14.12.2022 in Rajya Sabha to an Unstarred Question. Till date, no action has been taken. So, I would like to request the hon. Minister to kindly look into the matter and take necessary steps at the earliest. Thank you.

**SHRIMATI CHINTA ANURADHA (AMALAPURAM):** Thank you, Sir. The Bill seeks to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Tribes in relation to the State of Karnataka to include Betta-Kuruba community as a synonym of 'Kadu Kuruba' in entry 16 in the list of Scheduled Tribes of Karnataka as requested by the State. I would like to thank the hon. Chairperson for allowing me to speak on this Bill and I support this Bill on behalf of my party. Betta-Kuruba community is spread across the most backward and remote areas of Mysuru, Chamarajanagar and Kodagu districts and has been struggling to be accorded with the ST status for the past 35 years. Thus, I thank the Union Government to bring

forward this Bill which provides this community with much-awaited ST status. Betta-Kuruba community will now be able to avail of the benefits entitled under the existing Government schemes for Scheduled Tribes. It is largely a forest-dwelling tribe engaged in hunting and collecting forest produce. However, the collection of forest produce is seasonal and thus, they have no work in other parts of the year, leading to low economic stability and poverty. Therefore, the Government must formulate schemes to provide more economic opportunities to the tribal communities as well as skill development schemes to overcome poverty and unemployment. When it comes to education, tribals struggle with lack of transportation in their inhabited areas, making it difficult to access the basic facilities such as education. Hence, it is very difficult for tribal children to go to school. This has also contributed to the high illiteracy rates within tribal communities. There is a further problem with the functioning of the Tribal Ashram Schools in the State. There is a high dropout rate at these schools and even those who reach SSLC are unable to read or write properly. One of the factors responsible for the high dropout rate is the medium of instruction. For the tribals, English or even the State language, Kannada is alien and hence, it is important to develop modules and lessons to impart lessons in their respective mother tongues. The Government must also conduct programmes to eradicate illiteracy and provide proper guidance to these children to broaden their opportunities. When it comes to health, the National Family Health Survey and the reports of the expert committees on tribal health indicate that the tribal women and children suffer from a high rate of undernutrition.

Even the kitchens of the Ashram Schools which provide food to the tribal children are reported not to be cleaned properly. These findings are symbolic of a larger problem with long-lasting effects as malnutrition among those under-five years of age affects their cognition, learning ability and even life-long learning. Given that the tribal children are more susceptible to multiple forms of undernutrition than the other groups, the Government should address their

nutritional challenges to remove any barrier to their development. Betta Kuruba community or other tribal communities live in temporary huts or dwellings. The majority of the community does not have permanent houses. Therefore, it is necessary to provide a permanent settlement to Betta Kurbas. The Government should work on providing permanent housing facilities to the tribal communities. Sir, I would like to take this opportunity to highlight some of the successful endeavours undertaken by our State Government towards the social, political and economic upliftment of our tribal communities. The State Government has worked for the empowerment of tribal women and pattas were given for the land under the cultivation of tribal farmers. The pattas were issued to tribal people who were cultivating *banjar* lands. The State also has a dedicated ST Sub-plan for funding schemes for tribal people.

To reduce the gaps in the development of STs, the Government should facilitate access to better livelihood and employment opportunities for STs, and ensure students reach the higher echelons of the administration. Andhra Pradesh also runs the YSR Vidyonnathi Scheme under which the State Government provides free coaching for Civil Services Examination for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes students. The State's Corporate College Admission Scheme provides admission for meritorious poor students belonging to STs into reputed private junior colleges. Under the 'Mana Badi, Nadu Nedu' programme, the Tribal Ashram Schools were also renovated and provided basic amenities. Under the Jagjeevan Jyothi, the State Government has extended the benefits of free power of up to 100 units to ST consumers and ST households consuming 125 units per month would also be supplied free power. The scheme has benefited thousands of ST consumers. Therefore, Andhra Pradesh is undertaking a lot of welfare measures to uplift its tribal community. I would request the Government to allot more funds to the State to help us in scaling up our efforts towards ensuring a better status for our tribal people. Sir, generations of tribal people run the risk of staying

deprived of equal opportunities if the Government does not act with urgency. With these suggestions, I support this Bill. Thank you.

**श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य):** सभापति महोदय, धन्यवाद । मैं भाषण से पहले एक चीज़ की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि यहां जो वॉच है, इसमें 12.30 बजे हैं, लेकिन अभी 4.30 बजे हुए हैं । आप इस वॉच को चेंज करवाने या समय करेक्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दीजिए ।

**HON. CHAIRPERSON:** It has been taken note of. Please come to the Bill.

**श्री राहुल रमेश शेवाले:** सभापति महोदय, धन्यवाद । आपने मुझे संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (चौथा संशोधन) विधेयक, 2022 पर बोलने का और मेरी पार्टी बालासाहेब की शिवसेना की तरफ से पक्ष रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ ।

सभापति जी, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में माननीय जनजातीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी द्वारा लाये गये इस विधेयक का मैं स्वागत करता हूँ । इस विधेयक के माध्यम से कर्नाटक की जनता को न्याय दिलाने का काम आदरणीय मंत्री जी कर रहे हैं, जो स्वागत योग्य है । मैं आशा करता हूँ कि वे महाराष्ट्र राज्य कि जनता को भी न्याय देंगे । मैं सदन को बताना चाहूँगा कि इस देश में जनजातीय और आदिवासी क्षेत्र के बारे में सबसे पहले इंडिया एक्ट, 1935 में यह कहा गया कि आदिवासी क्षेत्र कौन-कौन से हैं । हमारा देश जब आजाद हुआ और उस समय ठक्कर बापा की अध्यक्षता में कमेटी बनी तथा उस कमेटी के माध्यम से सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने संविधान में ऐसे कई प्रावधानों को जोड़ते हुए संविधान में ऐसी जातियों के बारे में चर्चा की । लेकिन, इसके बावजूद ऐसी कई समस्याएं हमारे सामने उभरती रही हैं ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्बंधित मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि ऐसे कई समुदाय हैं, जो आज भी सुविधाओं से वंचित हैं और वे सूचीबद्ध भी नहीं हो पाए हैं । मैं महाराष्ट्र के धनगड़ समाज के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ । धनगड़ समाज कि स्थिति काफी खराब है । धनगड़ समाज का मूल व्यवसाय पशुपालन जैसे, भेड़-बकरी चराना है । साल के आठ महीने ये लोग पशुपालन करने के लिए जंगलो तथा गावं-गांव भटकते रहते हैं । उनकी आर्थिक स्थिती कमजोर होने से वे अपने बच्चों को न अच्छी शिक्षा दे पाते हैं और न ही उनका अच्छे से पालण-पोषण कर पाते हैं ।

महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि धनगड़ समाज के लोग सरकार द्वारा चल रही योजनाओं से भी वंचित रह रहे हैं, जिससे उनकी स्थिति काफी दयनीय हो गयी है। मैं सम्बन्धित मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि 70 वर्षों से धनगर समाज के आरक्षण का प्रश्न महाराष्ट्र में प्रलंबित है और भारतीय संविधान के अनुसार अनुसूचित जनजाति की सूची में 36 नम्बर पर धनगड़ का उल्लेख है। हिंदी भाषा के उच्चारण शास्त्र के अनुसार धनगर और धनगड़ एक ही शब्द है। महाराष्ट्र में धनगड़ नाम की कोई जनजाति नहीं है। महाराष्ट्र शासन के राजपत्रों और भारत सरकार के कई पत्रों में धनगर शब्द का स्पष्ट उल्लेख है, फिर भी धनगर समाज को आरक्षण से वंचित किया जा रहा है। महाराष्ट्र में धनगर समाज की संख्या लगभग 11 प्रतिशत से ज्यादा है।

1967 में महाराष्ट्र राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार धनगर जाति को महाराष्ट्र के अन्य पिछड़े वर्ग में सम्मिलित किया गया था। वर्तमान में धनगर महाराष्ट्र राज्य की एक प्रमुख जाति है। महाराष्ट्र की धनगर और इसी तरह की जनजातियों के लिए 3.5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। महाराष्ट्र में 1 करोड़ 5 लाख जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजातियों की सूची में 45 जनजातियाँ शामिल हैं और इन जनजातियों के लिए कुल 7 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

धनगर, ओरों, धांगड़ जनजातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 के तहत अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 342(1) के तहत किसी जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने या बाहर करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को दिया गया है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह धनगर समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करे और उन्हें सामाजिक-आर्थिक आरक्षण दे। यह करते वक्त महाराष्ट्र में अन्य अनुसूचित जनजातियों का जो कोटा है, उस कोटे पर कुछ असर नहीं पड़ना चाहिए। उनके अधिकारों पर कुछ असर नहीं पड़ना चाहिए। इसके बावजूद धनगर समाज को यह आरक्षण देना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र राज्य में मराठा समाज के आरक्षण के सम्बन्ध में सम्बन्धित मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा महाराष्ट्र राज्य में मराठा समाज के आरक्षण कि माँग काफी सालों से हो रही है।...(व्यवधान)

**HON. CHAIRPERSON:** This issue does not fall under the Bill.

... (*Interruptions*)

**HON. CHAIRPERSON:** This issue does not come under this Bill. That can be taken up later on.

... (*Interruptions*)

**श्री राहुल रमेश शेवाले:** सभापति महोदय, जनजाति का है लेकिन मराठा समाज...  
(व्यवधान)

**HON. CHAIRPERSON:** We are not discussing about reservation as such.

... (*Interruptions*)

**माननीय सभापति :** आप संक्षेप में इसके बारे में बता दीजिए । But it does not concern this Bill.

... (*Interruptions*)

**श्री राहुल रमेश शेवाले:** इसको लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है । माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि मराठा समुदाय को कोटा के लिए सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा घोषित नहीं किया जा सकता है । यह 2018 महाराष्ट्र राज्य कानून समानता का उल्लंघन करता है ।

कोर्ट ने कहा कि हम 1992 के फैसले की फिर से समीक्षा नहीं करेंगे, जिसमें आरक्षण का कोटा 50 फीसदी पर रोक दिया गया था । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ ।... (व्यवधान)

**माननीय सभापति:** ठीक है, आपका इश्यू आ गया ।

**श्री राहुल रमेश शेवाले:** कृपया, मुझे दो मिनट बोलने का समय दें ।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के अनुसार कोटा घटाकर 13 प्रतिशत से 12 प्रतिशत करने का निर्देश दिया था । न्यायालय ने यह भी कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय

द्वारा कुल आरक्षण पर लगाई गई 50 प्रतिशत की कैप असाधारण परिस्थियों में पार की जा सकती है । 9 सितम्बर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग अधिनियम 2018 के तहत मराठा समुदाय को प्रदान किए गए शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर रोक लगा दी थी ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्बंधित मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मराठा समुदाय राज्य की आबादी का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है । अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि चिकित्सा पाठ्यक्रमों में मराठा कोटा के तहत पहले से किए गए प्रवेश प्रभावित नहीं होंगे । इसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने इसका लाभ उठाया है, उनकी स्थिति भी खराब नहीं होगी ।... (व्यवधान)

सभापति महोदय, इसके पहले भी ऐसे बिल पर विभिन्न राज्यों के प्रॉब्लम यहां पर रेज किए गए हैं । आज आप क्यों प्रतिबंध लगा रहे हैं ।

**HON. CHAIRPERSON:** Please confine your discussion relating to the Bill and also relating to reservation for tribals.

... (Interruptions)

**श्री राहुल रमेश शेवाले:** सभापति महोदय, इसके पहले भी जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, उस पर धनगर और मराठा समाज के लिए सेम दूसरे माननीय सदस्य ने कहा था, तो कभी विरोध नहीं हुआ ।... (व्यवधान)

**माननीय सभापति:** यह नहीं करना चाहिए ।

**श्री राहुल रमेश शेवाले:** अगर यह नहीं करना चाहिए तो इसके बारे में तभी बताना चाहिए था । महाराष्ट्र के राज्य के नागरिकों की जो भावना है, उसे हम यहां पर प्रकट करेंगे । जो हमारा अधिकार है ।... (व्यवधान)

**माननीय सभापति:** आपका इश्यू रिकॉर्ड में आ गया ।

...(व्यवधान)

**श्री राहुल रमेश शेवाले:** सभापति महोदय, मैं संक्षिप्त में कंकलूड करना चाहता हूं ।...  
(व्यवधान)

**माननीय सभापति:** आप अपनी बात को कंकलूड करिए ।

**श्री राहुल रमेश शेवाले:** सभापति महोदय, उनकी स्थिति खराब नहीं होगी । महाराष्ट्र राज्य सरकार की यह माँग है कि उच्चतम न्यायालय को आरक्षण पर मौजूदा 50 प्रतिशत के कैप पर पुनर्विचार करना चाहिए । कई राज्यों में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से भी अधिक हो गयी है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए घोषित कोटा भी सीमा पार कर गया है । मराठा आरक्षण को छोड़कर इसमें किसी को भी नहीं रखा गया है । माननीय उच्चतम न्यायालय को आरक्षण पर मौजूदा 50 प्रतिशत कैप पर पुनर्विचार करना चाहिए । इसलिए 1993 के इंदिरा साहनी मामले में 50 प्रतिशत की दर से कोटा देने के ऐतिहासिक फैसले को फिर से देखने की जरूरत है ।...(व्यवधान)

**HON. CHAIRPERSON:** This needs a separate discussion.

**श्री राहुल रमेश शेवाले:** अगर केन्द्र सरकार इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख अपनाता है तो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण मंजूर करने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है और मराठा समाज के बच्चों को न्याय मिलेगा ।

**PROF. ACHYUTANANDA SAMANTA (KANDHAMAL):** Hon. Chairperson Sir, the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fourth Amendment) Bill, 2022 seeks to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, with respect to its application to Karnataka. The Order lists the tribal communities deemed to be the Scheduled Tribes in States and Union Territories. On behalf of my Party, Biju Janata Dal, I stand here to support any Bill that is progressive and works towards establishing a voice for the tribal population. I would also like to compliment wholeheartedly the phenomenal steps taken in this regard by the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modiji-led Government for the development and respect of the tribal society. I have been working with millions of people of the tribal community for the last 30 years.

I would like to highlight two main landmarks that have caused a wave of happiness among the tribals in India – a tribal woman, pride of India rising to the highest Constitutional post of India, Smt. Droupadi Murmuji; and the celebration of birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda on 15<sup>th</sup> November as Tribal Pride Day/Janjatiya Gaurav Divas. Coming to my state of Odisha, that has around 24 percent tribal population, the last two decades have been a watershed in tribal empowerment in Odisha because of the inclusive pro-tribals policy. Under the leadership of our hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, Odisha has championed several inclusive, holistic, participatory, community-driven, and gender and culture-sensitive empowerment and development initiatives for tribals. Odisha has done a lot for tribals. It has launched innovative schemes like 5T on education front and has also been a pioneer in land rights and cultural conservation.

I also rise to apprise the House that Odisha is the only State to have first of its kind encyclopaedia on tribes of Odisha. I would request the hon. Minister to consider the request of our hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik and consider over 160 proposals recommended by the State Government for inclusion in the Scheduled Tribe (ST) list of Odisha.

Since 1978, the State Government has recommended more than 160 communities of the State to the Central Government for inclusion in the ST list of the State, with the approval of the Tribes Advisory Council.

Among these, some are new entries and the others are subsets, synonyms, and phonetic variations of the existing ST communities, residing in different parts of the State who are being deprived of the benefits availed by STs, though they have the same tribal characteristics as their respective notified STs. One of them happens to be the Kudumi community in the State, whose population is 30 lakhs.

They live in districts like Mayurbhanj, Keonjhar, Sundargarh, Balasore and other nearby places. They are one of the larger groups demanding ST status for a long time. This shall go a long way in helping these deprived communities by

giving them their much-needed recognition as 'Scheduled Tribe' and ensure social justice. So, we appeal to the Ministry to consider these requests. With these words, I support this Bill. Thank you very much.

**श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल):** धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय ।

संविधान की अनुसूचित जनजातियों की सूची में कर्नाटक के कतिपय समुदायों को सम्मिलित किये जाने के लिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ । वास्तव में, यह प्रशंसनीय विधेयक है तथा जनहित में है । इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

मौजूदा समुदाय के कल्याण के लिए जब तक आवंटन नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक इन समुदायों का कल्याण नहीं हो सकता है । इसलिए इसके साथ-साथ इन समुदायों के लिए आवंटन बढ़ाना भी आवश्यक है ।

महोदय, बिहार राज्य में अभी भी कतिपय अनुसूचित जनजातियाँ जैसे अमात, बीन्द, बेलदार, धानुक, कहार, गंगौत, गोरही, केवट क्योट, कैवर्त, मल्लाह, नूनिया तथा तुरहा हैं, जिन्हें राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में अभी तक शामिल नहीं किया गया है । इन जनजातियों के लोग अभी भी सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं तथा दशकों के नियोजित विकास के पश्चात् भी दयनीय स्थिति में जीवनयापन कर रहे हैं । ये समुदाय संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 में जनजाति के रूप में शामिल किए जाने के सभी मापदण्डों को पूरा करते हैं । इसके अलावा, वे काफी समय से ऐसे दर्जे की मांग कर रहे हैं । इन जातियों से संबंधित इथेनोग्राफिक अध्ययन रिपोर्ट सहित बिहार सरकार भी केन्द्र सरकार को अनुशंसा प्रेषित कर चुकी है ।

उसी क्रम में, मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार राज्य के अंतर्गत राजवंशी, नागर और चसोर को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना चाहिए ।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि संविधान में संशोधन करके बिहार की इन जातियों को भी अनुसूचित जनजाति समुदाय में सम्मिलित किया जाए ताकि उनका भी विकास हो और वे आगे बढ़ सकें ।

धन्यवाद ।

**कुंवर दानिश अली (अमरोहा):** धन्यवाद, सभापति महोदय । ... (व्यवधान)

**माननीय सभापति:** आप काफी लेफ्ट को आ गए हैं ।

... (व्यवधान)

**डॉ. निशिकांत दुबे:** सर, इन्होंने ड्रेस चेंज कर ली है । ... (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली: चेयरमैन सर, ड्रेस इसलिए चेंज किया क्योंकि सेफरन कलर पहनना निशिकांत जी का या बीजेपी, भाजपा वालों का पेटेंट नहीं है । ... (व्यवधान) इसलिए मैं यह पहनकर आया हूँ, जानबूझकर पहन कर आया हूँ । ... (व्यवधान)

**माननीय सभापति:** आप लेफ्ट में थे, राइट में आ गए हैं । आप राइटिस्ट हो रहे हैं ।

... (व्यवधान)

**KUNWAR DANISH ALI:** Thank you, Sir. ... (*Interruptions*)

**डॉ. निशिकांत दुबे:** यह रंग हिन्दुत्व का प्रतीक है । ... (व्यवधान)

**कुंवर दानिश अली:** यह हमारे झंडे में भी है । यह हरा, सफेद, केसरिया राष्ट्रीय ध्वज में भी है, जिस राष्ट्रीय ध्वज का ये लोग आजादी के 50 सालों से ज्यादा बाद तक भी विरोध करते रहे हैं । ... (व्यवधान)

**माननीय सभापति:** आप विधेयक के ऊपर बोलिए ।

... (व्यवधान)

**कुंवर दानिश अली:** संघ के हेडक्वार्टर पर इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया । ... (व्यवधान)

**HON. CHAIRPERSON:** You speak on the Bill, please. It is a Constitution (Amendment) Bill.

....(Interruptions)

**कुंवर दानिश अली:** धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे इतने इम्पोर्टेंट बिल पर बोलने का मौका दिया । यह बिल कर्नाटक के अंदर जो बेटक कुरबा कम्युनिटी है, उसको शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में शामिल करने के लिए यह बिल लाया गया है ।

मैं देख रहा हूं कि पिछले चार दिनों से ये अलग-अलग स्टेट स्पेसिफिक बिल्स लाए गए हैं । जबकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स का ट्राइबल मिनिस्ट्री एक कॉम्प्रेहेंसिव बिल भी ला सकती थी, लेकिन उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं । ... (व्यवधान)

**माननीय सभापति:** ट्राइबल नहीं, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है ।

... (व्यवधान)

**कुंवर दानिश अली:** सर, मैं उसके प्रोरोगेटिव में नहीं जाना चाहता हूं । ... (व्यवधान)

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस देश के जल, जंगल और जमीन के असली अधिकारी इस देश की आदिवासी कम्युनिटी होती है । ... (व्यवधान) लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह देखने में आया है कि जो सरकार के क्रोनी कैपिटलिस्ट दोस्त होते हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए ट्राइबल कम्युनिटी को डिसप्लेस करके इंडस्ट्री के नाम पर, माइनिंग के नाम पर उनको डिसप्लेस किया जाता है । ... (व्यवधान) मैं, जो बिल लाया गया है, उस बिल के समर्थन में खड़ा हूं । ... (व्यवधान)

**DR. NISHIKANT DUBEY:** Sir, I have a point of order.

**कुंवर दानिश अली:** सर, यह पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है, निशिकांत दुबे जी की पार्टी को जब मैं एक्सपोज करने खड़ा होता हूं, हमेशा इनको ये बीमारी है । ... (व्यवधान) हमेशा खड़े हो जाते हैं । ... (व्यवधान)

**HON. CHAIRPERSON:** That will be decided by the Chair.

....(Interruptions)

**कुंवर दानिश अली:** सर, ये बिना बात के डिस्टर्ब करते हैं ।

सभापति महोदय, इनको सच्चाई चुभती है । मैं सच्ची बात कह रहा हूँ कि यह जो मौजूदा सरकार है, यह आदिवासी विरोधी है । ... (व्यवधान) ये, जो ट्राइबल्स हैं, ये उनके खिलाफ काम करती है । ... (व्यवधान) उनको उजाड़ने का काम करती है, उनको लगातार डिसप्लेस कर रही है । ... (व्यवधान) उनको कहीं भी स्टैंड नहीं किया जा रहा है । ... (व्यवधान)

**माननीय सभापति:** निशिकांत जी, आप बताइए ।

... (व्यवधान)

**DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA):** Sir, Rule 94 says: -

“The discussion on a motion that the Bill or the Bill as amended, as the case may be, be passed shall be confined to the submission of arguments, either in support of the Bill or for the rejection of the Bill. In making his speech a member shall not refer to the details of the Bill further than is necessary for the purpose of his arguments which shall be of a general character.”

सर, इसका इस बिल से क्या लेना-देना है कि किसको माइन्स दिया, किसको नियमगिरी दिया गया? ... (व्यवधान) मैं बता दूँ कि ...\* को कैसे माइन्स दे दिया? ... (व्यवधान)

**HON. CHAIRPERSON:** No, that will not go on record.

....(Interruptions)

**डॉ. निशिकांत दुबे:** कैसे किरीबुरू में दे दिया? ... (व्यवधान) ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं । ... (व्यवधान)

**HON. CHAIRPERSON:** I will go through the details of this particular Point of Order.

....(Interruptions)

**HON. CHAIRPERSON:** Please continue.

....(Interruptions)

**कुंवर दानिश अली:** सभापति जी, बहुत अच्छा है कि आज निशिकांत जी ने यह बात कही कि बिल पर ही बात होनी चाहिए। मैं चेयर से अपील करूंगा कि निशिकांत जी के आज तक बिल पर जितने भाषण हुए हैं, उनकी भी स्कूटिनी होनी चाहिए कि वे बिल पर बोलते हैं या पालिटिकल भाषण देते हैं। There cannot be two yardsticks. अभी तीन दिन पहले बिल से बिलकुल अलग बोल रहे थे। इनका काम डिस्टर्ब करने का था और वह उन्होंने कर दिया, लेकिन मैं डिस्टर्ब होने वाला नहीं हूँ।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आदिवासी कम्युनिटी के लिए यह बिल लाए हैं, यह अच्छा बिल है। मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बेस्ता, कुरुबा जाति के साथ-साथ जो बीदर, कुलबर्गा के इलाके में गौंड कुरुबा कम्युनिटी है, उसकी भी मांग है कि उन्हें भी अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में शामिल किया जाए। राज्य सरकार से भी प्रपोजल आया हुआ है। मुझे याद है कि वर्ष 1990-91 में जब चन्द्रशेखर जी देश के प्रधान मंत्री बने थे, तो उन्होंने देवेगौड़ा जी को कैबिनेट ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे कैबिनेट नहीं चाहिए, बल्कि मेरी स्टेट के वाल्मिकी नायक कम्युनिटी के लोग हैं, उन्हें आप एसटी का दर्जा दे दीजिए। चन्द्रशेखर जी की सरकार ने उस जाति को एसटी का दर्जा उनके कहने पर दिया। आज कर्नाटक में 15 एसटी की सीट रिजर्व हैं, सिर्फ उस प्रपोजल की वजह से।

**माननीय सभापति:** ठीक है, आप अपने अनुभव से बता रहे हैं, लेकिन आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

**कुंवर दानिश अली:** सभापति जी, वर्ष 1950 का जो आर्डर है, उसमें बार-बार अमेंडमेंट हो रहा है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति जनगणना के रिजल्ट संसद में आने चाहिए। जिसकी जितनी आबादी, उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह सरकार जाति जनगणना से क्यों भाग रही है, जाति जनगणना होनी चाहिए। धन्यवाद।

[کنور دانش علی (امروہ): بہت شکریہ چیرمین صاحب، سر، ڈریس چینج اس لئے کیا کیونکہ سیفرن کلر پہننا نشی کانت جی کا یا بی جے پی،، بھاجپا والوں کا پیٹینٹ نہیں ہے۔ (مداخلت)۔ اس لئے میں یہ پہن کر آیا ہوں، جان بوجھ کر پہن کر آیا ہوں۔ (مداخلت)۔ یہ ہمارے جھنڈے میں بھی ہے۔ یہ سفید، برا، کیسریا قومی جھنڈے میں بھی ہے، جس قومی جھنڈے کی یہ لوگ آزادی کے 50 سالوں سے زیادہ بعد تک خلافت کرتے رہے (مداخلت)۔ سنگھ کے بیڈ کوارٹر پر انہوں نے قومی جھنڈا نہیں پھیرایا۔ (مداخلت)۔۔۔

محترم چیرمین صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنے اہم ہل پر بولنے کا موقع دیا۔ یہ ہل کرناٹک کے اندر جو بیٹا گُرمبا کمیونیٹی ہے، اس کو شیڈیولڈ ٹرائبس کی لسٹ میں شامل کرنے کے لئے یہ ہل لایا گیا ہے۔

میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے چار دنوں سے یہ الگ الگ اسٹیٹ اسپیسفیک ہلس لائے گئے ہیں۔ جبکہ شیڈیولڈ ٹرائبس کا ٹرائبل منسٹری ایک کومپری ہینسو ہل بھی لا سکتی تھی، لیکن اس میں، میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ (مداخلت)۔۔

جناب، میں اس کے پرور و گٹیو میں نہیں جانا چاہتا ہوں (مداخلت) میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے جل، جنگل اور زمین کے اصلی حقدار اس ملک کی آدیواسی کمیونیٹی ہوتی ہے (مداخلت) لیکن پچھلے کچھ سالوں میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو سرکار کے کرنی کیپیٹلسٹ دوست ہوتے ہیں، ان کو فائدہ پہنچانے کے لئے ٹرائبل کمیونیٹی کو ڈسپلیس کر کے انڈسٹری کے نام پر، مائننگ کے نام پر ان کو ڈسپلیس کیا جاتا ہے (مداخلت)، میں، جو ہل لایا گیا ہے، اس ہل کی تائید میں کھڑا ہوا ہوں (مداخلت)۔۔

سر، یہ پوائنٹ آف آرڈر جو ہے نشی کانت دوبے جی کی پارٹی کو جب میں ایکسپوز کرنے کھڑا ہوتا ہوں، ہمیشہ ان کو یہ بیماری ہے (مداخلت) ہمیشہ کھڑے ہو جاتے ہیں، (مداخلت)۔ سر یہ بنا بات کے ڈسٹرب کرتے ہیں۔

چیرمین صاحب، ان کو سچائی چُبھتی ہے۔ میں سچی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو موجودہ سرکار ہے، یہ آدیواسی وِرودی ہے، (مداخلت) یہ جو ٹرائبلس ہیں، یہ ان کے خلاف کام کرتی ہے (مداخلت) ان کو اُجاڑنے کا کام کرتی ہے، ان کو لگاتار ڈسپلیس کر رہی ہے۔ (مداخلت) ان کو کبھی بھی اسٹینڈ نہیں کیا جا رہا ہے (مداخلت)۔

چیرمین صاحب، بہت اچھا ہے کہ آج نشی کانت جی نے یہ بات کہی کہ ہل پر ہی بات ہونی چاہیے۔ میں چیر سے اپیل کروں گا کہ نشی کانت جی کے آج تک کے ہل پر جتنے بھاشن ہوئے ہیں،

ان کی بھی اسکروٹنی ہونی چاہیے کہ وہ بل پر بولتے ہیں یا پولیٹیکل بھاشن دیتے ہیں۔ **There cannot be two yardsticks.** ابھی تین دن پہلے بل سے بالکل الگ بول رہے تھے۔ ان کا کام ڈسٹرب کرنے کا تھا اور وہ انہوں نے کر دیا، لیکن میں ڈسٹرب ہونے والا نہیں ہوں۔

چیرمین صاحب، میں آپ کے ذریعہ سے صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آدیواسی کمیونٹی کے لئے یہ بل لائے ہیں، یہ اچھا بل ہے۔ میں اس کی تائید کرنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ لیکن پھر بھی مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ذریعہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹا کرمبا جاتی کے ساتھ ساتھ جو بیدر، گلببرگہ کے علاقے میں گونڈ کرمبا کمیونٹی ہے، اس کی بھی مانگ ہے کہ انہیں بھی انوسوچت جن جاتی کی لسٹ میں شامل کیا جائے۔ ریاستی سرکار سے بھی پریپوزل آیا ہوا ہے۔ مجھے یاد ہے سال 1990-91 میں جب چندر شیکھر جی ملک کے وزیر اعظم بنے تھے، تو انہوں نے دیوے گوڑا جی کو کینیٹ جوائن کرنے کے لئے انوائٹ کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے کینیٹ نہیں چاہیے، بلکہ میری ریاست کے والمیکی نائک کمیونٹی کے لوگ ہیں، انہیں آپ ایس ٹی۔ کا درجہ دے دیجیئے۔ چندر شیکھر جی کی سرکار نے اس جاتی کو ایس ٹی۔ کا درجہ ان کے کہنے پر دیا۔ آج کرناٹک میں 15 ایس ٹی۔ کی سیٹ ریزرو ہیں، صرف اس پریپوزل کی وجہ سے۔

چیرمین صاحب، سال 1950 کا جو آرڈر ہے، اس میں بار بار امینڈمنٹ ہو رہا ہے۔ میں سرکار سے اپیل کروں گا کہ ملک میں جاتی مردم شماری ہونی چاہیے اور اس کے ریزلٹ پارلیمنٹ میں آنے چاہیے۔ جس کی جتنی آبادی، اس کی اتنی بھاگیداری ہونی چاہیے۔ اس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ جاتی جن گننا سے کیوں بھاگ رہے ہیں، جاتی جن گننا ہونی ہی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ]

**SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI):** Sir, thank you very much. I stand here on behalf of the NCP to speak on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fourth Amendment) Bill, 2022 to modify the list of Scheduled Tribes in relationship with the State of Karnataka. मैं जिस राज्य से आती हूँ, उस राज्य में बहुत सारी जातियाँ ऐसी हैं, जो आरक्षण मांग रही हैं। मैं इस बारे में संक्षिप्त में बोलूंगी। चाहे धनगर समाज हो, मराठा समाज हो, लिंगायत समाज हो या मुस्लिम समाज हो।

आज ये सारे समाज आरक्षण मांग रहे हैं लेकिन धनगर समाज ऐसा समाज है जो इस बिल में आरक्षण चाहता है इसलिए मैं मराठा, मुस्लिम और लिंगायत समाज के बारे में नहीं बोलूंगी और इस विषय तक ही सीमित रहूंगी। धनगर समाज के आरक्षण पर मैं पहले भी दो बार बोल चुकी हूँ लेकिन आज मेरे लिए बोलना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कर्नाटक के लिए है। कर्नाटक के माननीय मुख्य मंत्री हमारे खिलाफ कुछ भी बोलें, लेकिन हम उनके साथ खड़े रहेंगे क्योंकि मुझे पता है कि यह बिल उस जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

आज भी सुबह कर्नाटक में हमारे कुछ मराठी लोग गए थे, जो भारतीय हैं, वे चाहे कर्नाटक में रहें या महाराष्ट्र में रहें, लेकिन फिर भी आज जब कर्नाटक में असेम्बली शुरू हो रही थी, तब उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया और उनके पंडाल को भी हटा दिया। मैं इस विषय में राजनीति नहीं लाना चाहती हूँ लेकिन कर्नाटक के लिए भी चाहे यह बिल है, हम महाराष्ट्र की तरफ से पूरी सपोर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि यह बिल पास हो। महाराष्ट्र में 'ईडी सरकार', देवेन्द्र फड़नवीज जी की ही स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। वे एकनाथ जी और अपनी सरकार को 'एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट' नहीं स्वयं को 'ईडी' कहते हैं। देवेन्द्र जी जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, तब उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि जब हमारी सरकार आएगी, तब धनगर समाज, जिसका उल्लेख श्री एस.पी. बघेल जी और निशिकांत जी ने भी किया था और कहा था कि सिर्फ स्पेलिंग की मिस्टेक है और एक न्यूज भी आई थी कि वर्ष 2014 में जब श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आई थी, तब उन्होंने नया ग्रुप बनवाया था और उसके अधिकारी श्री पांडा जी थे। उन्होंने एक रिपोर्ट बनवाई थी और उसमें लिखा है।

**17.00 hrs.**

'If there is a spelling change, whether there is any phonetic variation, which of the tribes could be considered because of a slight similarity of sound,...' It should be considered.

जब इनकी सरकार आयी थी, तब उन्होंने यह सुझाव दिया था । धनगर जाति का उल्लेख पहले भी निशिकांत जी ने किया था और उन्होंने कहा था कि हर राज्य में अलग-अलग आरक्षण दिया जाता है, तो यह एक स्टैंडर्डिज वे में क्यों न हो? मंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि राज्यों से लाए थे, तो वैसे ही इस देश के लिए एक कॉम्प्रीहेंसिव बिल क्यों न लाया जाए और उसके साथ ही महाराष्ट्र के बारे में क्यों न सोचा जाए?

उस दिन माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा था कि महाराष्ट्र से कोई प्रपोजल नहीं आया था । मैं रिकॉर्ड के लिए कहना चाहती हूं कि वर्ष 1978 में वहां के मुख्य मंत्री जी ने एक प्रस्ताव भेजा था, जो वर्ष 1981 में वापस गया । उसके बाद कोई प्रपोजल नहीं आया और देवेन्द्र जी जब मुख्य मंत्री थे, तब उन्होंने एक स्टडी ग्रुप बनाया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है । जो प्रॉसेस रखा है, उसके लिए महाराष्ट्र सरकार को वह प्रपोजल दिल्ली भेजना है । अतः दो माध्यम हो सकते हैं ।

There are two ways to solve this problem. The Modi Government goes by this new Panda Committee Report and can do it directly. The Government of India with its 303-majority can go ahead and give Dhangar community the reservation and meet their demand. The other way is that the present Government of Maharashtra re-looks at the study, makes sure that they have another survey freshly done for the Dhangar *samaj* which is asking for this reservation, and sends it to the Government of India and gets it done. So, these are the two options which the Government has.

So, I request the hon. Minister to kindly consider it. बहुत सालों से मांग हो रही है । यह सरकार धनगर समाज को न्याय देगी, यह मैं अपेक्षा करती हूं ।

धन्यवाद ।

**श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व):** थैंक्यू चेयरमैन सर, आज मैं संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (चौथा संशोधन) विधेयक, 2022 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । काँस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट, 1950 क्लॉज-26 तथा आर्टिकल-366 व 342 में बदलाव लाकर कर्नाटक सरकार ने रिकमेंड किया तथा बेट्टा, कुरुबा ट्राइब्स के इनक्लूजन के लिए जो बिल

माननीय मंत्री, श्री अर्जुन मुंडा जी इस सदन में लाए हैं, इसके लिए मैं उनकी तारीफ करता हूँ । दानिश भाई ने अभी एक बात कही थी कि यह बिल एंटी ट्राइबल है ।

चेयरमैन सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रपति ट्राइबल हो सकती हैं और 'जनजातीय गौरव दिवस' देश भर में मोदी साहब और अर्जुन मुंडा साहब करवा सकते हैं, तो फिर यह बिल एंटी ट्राइबल कभी नहीं हो सकता । हमारी आजादी के 75 साल हो गए हैं । अतः आज इस बिल के माध्यम से मैं बेट्टा, कुरुबा ट्राइब्स को बधाई देना चाहूंगा कि 75 सालों बाद उन्हें एसटी स्टेटस मिलेगा । इससे पता चल सकता है कि इनकी कहानी कितनी दुख भरी थी । आज देश भर में, हर प्रदेश में ऐसी-ऐसी ट्राइब्स हैं, जिनको संवैधानिक रूप से रिकग्नाइज नहीं किया गया था ।

मोदी जी के नेतृत्व में, अर्जुन मुंडा साहब के नेतृत्व में आज देश भर में अरुणाचल प्रदेश से लेकर, उत्तर प्रदेश होते हुए, कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि सारे प्रदेशों में उन ट्राइबल लोगों को राइट मिलेगा, जिनको संवैधानिक रूप से मिलना चाहिए था, लेकिन it is not too late for a good beginning. मोदी सरकार और हमारे अर्जुन मुंडा साहब के द्वारा जिन जनजातियों को स्टेट्स दिया जा रहा है, इसके लिए मैं मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहूंगा । महोदय, केवल स्टेट्स देने से कुछ नहीं होता है । उनकी पहचान भी करनी पड़ेगी, उनकी देख-रेख भी करनी पड़ेगी, उनको सुविधाएं भी देनी पड़ेंगी । संविधान में हमें इसके लिए पूरा अधिकार दिया गया है । मैं मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा । महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि वाजपेयी साहब की सरकार में मैं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति कमीशन का मेंबर था और I am the first Vice-Chairman in the Tribal Commission in Government of India. मैंने पूरे देश में टूर किया है । कहाँ-कहाँ कमी है, कहाँ-कहाँ हम सुधार कर सकते हैं, इसमें मैंने यह बिन्दु पकड़ा है कि हर राज्य में एससी और एसटी का एक ऑफिसर होता है । उसको ड्यूटी बाउन्ड करना पड़ेगा, हर जिला स्तर तक उसकी ड्यूटी यह हो कि उसकी एट्रोसिटी, बेनिफिशरी, उसकी सारी सुविधा देखने के लिए स्टेट लेवल से लेकर जिला स्तर तक हमें ट्राइबल ऑफिसर्स बनाने पड़ेंगे, dedicated to the tribal communities. ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री से बहुत सारी स्कीम्स हैं, ट्राइबल लोग यह नहीं जान पा रहे हैं कि कौन सी स्कीम ले लूँ । प्रधानमंत्री जी की पीएमएवाई योजना के माध्यम से हर ट्राइबल का घर बनाया जा रहा है, लेकिन समर्पित अधिकारी न होने के कारण बहुत सारी स्कीम्स के बारे में ट्राइबल लोगों को

पता ही नहीं है । जो जंगल में रहता है, उसे गवर्नमेंट की सुविधा के बारे में पता नहीं है कि हमें सरकार की तरफ से क्या लाभ मिल रहा है ।

आज मोदी जी के नेतृत्व में एजुकेशन, हेल्थ और ड्रिंकिंग वाटर सभी तक पहुँचाया जा रहा है । एजुकेशन के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल हर ट्राइबल बेल्ट, हर ट्राइबल जिले में खोला जा रहा है । इतनी सुविधा, इतनी बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ट्राइबल्स को एजुकेशन मिल रही है । 'आयुष्मान भारत योजना' के तहत मोदी जी का हेल्थ कार्ड हर ट्राइबल घर में पहुँच रहा है । हर घर में नल और हर नल में जल की सुविधा सभी को मिल रही है ।... (व्यवधान)

महोदय, मैं यह कहना चाहूँगा कि इस चीज की मानीटरिंग करने के लिए, देख-रेख करने के लिए स्टेट लेवल में जो ट्राइबल ऑफिसर है, it should be decentralised up to the district level and the block level dedicated to Scheduled Castes and Scheduled Tribes so that the implementation of Government's policies and programmes can be done accordingly. महोदय, इसी सदन में आपके सामने ट्राइबल फॉरेस्ट राइट बिल वर्ष 2006-07 में पास हुआ था । बहुत से ऐसे प्रदेश हैं, जहाँ इस ट्राइबल फॉरेस्ट राइट बिल का पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है । इस चीज को भी हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर और हमारी सरकार देखे कि इसमें ट्राइबल्स को कोई असुविधा न हो । इसे भी हम लोगों को देखना चाहिए । इसके साथ ही साथ मैं न्यूट्रिशंस से लेकर फेक एससी, एसटी सर्टिफिकेट के बारे में भी बोलना चाहूँगा । माल न्यूट्रिशन, जो बच्चे जंगल में रहते हैं, उन्हें कहीं-कहीं न्यूट्रिशंस नहीं दे पा रहे हैं । फेक सर्टिफिकेट के बारे में कहना चाहूँगा कि मैं अभी पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटी ऑन एससी, एसटी और कंसल्टेटिव कमेटी में मेंबर हूँ । शेड्यूल ट्राइब का फेक सर्टिफिकेट, शेड्यूल कॉस्ट का फेक सर्टिफिकेट, लीगल इम्प्लीकेशंस, लीगल काम्प्लिकेशंस बहुत हैं । इस पर हम लोगों को ध्यान देना जरूरी है कि ब्लॉक लेवल, पंचायत लीडर को यह जानकारी देनी पड़ेगी कि किन-किन लोगों को एसटी, एससी सर्टिफिकेट देना चाहिए । यह तब होगा जब उस ब्लॉक लेवल तक वे एससी, एसटी के ऑफिसर बैठेंगे । मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ । महोदय, अभी असम और पूर्वोत्तर राज्यों में, आपको पूरी जानकारी है कि वह ट्राइबल बेल्ट है, असम में हमारे 6 ट्राइब्स हैं, जिन्हें शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा देना चाहिए । इसमें ताई अहोम, मोरन, मटोक, टी कम्युनिटी, कोच राजबोंगी और चुटिया हैं ।

असम के बारे में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑनरेबल ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर की नॉलेज में है । मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टीट्यूएन्सी में योबिन कास्ट है । विजयनगर से म्यांमार तक 75 ईयर्स के बाद इस साल ही गाड़ी पहुंची है । विजयनगर एक ऐसी जगह है, जहां इस साल ही सड़क बनी है और वहां के निवासी योबिन अरुणाचल प्रदेश की ट्राइबल लिस्ट में हैं । लेकिन जब तक कॉन्स्टीट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लायेंगे, तब तक वह सेंटर की ट्राइबल लिस्ट में नहीं आयेंगे । नागालैंड, मणिपुर में भी ऐसी बहुत सी ट्राइब्स हैं । मैं ऑनरेबल ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर से, इस बिल का समर्थन करते हुए, रिमाइंड कराना चाहूंगा कि अगर मोदी जी के नेतृत्व में और आपके नेतृत्व में ट्राइबल को जस्टिस देना है तो सारे देश भर में एक सेंसस हो । जहां ट्राइबल्स जंगलों में रह रहे हैं, उनको ट्राइबल स्टेटस दिए जाने की परमिशन दें । थैंक यू ।

**ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA):** Before entering into the discussion on the Bill, I wish to draw your attention that the wall clock is misleading all the Members and the august House. Please give directions to correct it. Sir, I support the proposed amendments to the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to include more communities from the States of Karnataka. On behalf of CPI (M), I wish to raise some serious concerns about the plight of our sisters and brothers from Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities. What is the status of Schedules Castes and Scheduled Tribes in our country even after 75 years of our Independence? The Government would boast of our country having two Presidents from Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities consecutively. Does it reflect on the life and livelihood of people belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities? I am going to elaborate upon each and every issue. Firstly, I will talk about discrimination. Every day, we happen to read from the newspapers that in one part or the other part of the country, people from Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities are facing discrimination in sharing community resources or excluded only because of their Scheduled Caste and Scheduled Tribe status. I got two replies from this Government in this Session revealing their true status. The atrocities against Scheduled Castes and Scheduled

Tribes are increasing across the country and the most number of cases were registered last year in the BJP ruled States of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. Secondly, even in public institutions where reservation for Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities is mandated by the Constitution, they are not getting their due shares. Sir, I got the reply from the hon. Education Minister that in 45 Central universities of the country, only 21 per cent posts reserved for general category remain vacant. But in the case of posts reserved for Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities, it is 42 per cent. If the status of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in public institutions is this, can we imagine about their representation in private sector? Day-by-day, this Government is writing off every institution in the public sector to the private corporates and curtailing employment opportunities for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Hence, I request that this House should seriously think of extending reservation to the private sector, especially those PSUs which were earlier in the public sector to safeguard their interests. ... (*Interruptions*). One minute please.

**HON. CHAIRPERSON:** We have large number of speakers.

**ADV. A.M. ARIFF:** Sir, this Government has assured on various occasions that it would seriously look into the allegations of under-representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Central universities and other higher educational institutions. Sir, not only has this Government not taken any concrete steps for this, but on the other hand, it has hidden the data on representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in IITs even in the replies given in Parliament to me. So, I request the Government to take urgent steps to appoint a Commission to look into allegations and ensure justice in a time-bound manner.

Sir, this is my last point. A lot of State Governments and various NGOs are doing very comprehensive projects for the upliftment of SCs and STs. I can proudly mention the project of the National Service Scheme of SD College, Allapuzha in my Constituency, which is going to implement a comprehensive project including

education, career guidance courses, placement, and all the infrastructure support for the students belonging to SC and ST. This can be appreciated.

But the Government can do anything. Hence, I again want to urge upon the Government to appoint a Commission to look into these allegations and ensure justice. Thank you.

**SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG):** Hon. Chairman, thank you for giving me an opportunity to participate in the debate on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fourth Amendment) Bill, 2022.

There can be no disagreement with the proposition that wherever Government finds a community to be in similar circumstances as the Scheduled Tribes community to enlist that community in the category of Scheduled Tribes, but that would remain an ideal formality unless there is an attitudinal shift in the approach and that shift in the approach is not visible. All these exercises are reduced to a cosmetic exercise as these additions are made for political reasons without intending any benefit for the communities that are proposed to be added to the list of Scheduled Tribes.

The shift in the approach is not visible. What has been done recently is that the allocations for Pre-Matric Scholarship – the scholarships that were meant for the weaker sections and unaided sections – have been slashed. What about the Maulana Azad National Scholarship, which enabled a large number of students to have access to higher education? Had the Government been honest about the approach to come to the rescue of these unaided segments of society, then it would not have embarked on such an exercise where we reduced the number of scholarships and slashed the amount for it.

The fact remains that the Scheduled Tribes continue to have no access to healthcare, education, and means of employment. In the case of Jammu and Kashmir, we have a good population of ST community and what we see is that only an addition has been made for namesake. This population continues to have no

access to education. Most of the school dropouts are from that community, and surprisingly in most of these shadow areas where we do not even have telephone connectivity or net connectivity are the areas which are inhabited by the Scheduled Tribes. Resultantly, the ST community children do not have access to digital education or online education, and a large number of students are deprived of the concession that is availed in urban areas and by other segments of the population. As a result of this, most of the school dropouts are from this community.

As regards healthcare, we have the least healthcare facilities available for this community. There is no access to healthcare. What is the point in making additions when you do not intend to make any significant changes in their life style. ... (*Interruptions*) These communities continue to be at the bottom of the barrel, and the experience tells us that these remain only cosmetic.

I would request the hon. Minister to do something in real terms for this community, and make the additions. We do not oppose it. ... (*Interruptions*)

**HON. CHAIRPERSON:** Please conclude now. We have a large number of Members to speak.

... (*Interruptions*)

**SHRI HASNAIN MASOODI:** Sir, kindly give me half-a-minute.

We do not oppose the additions. Let the communities be enlisted if you have an objective ... (*Interruptions*)

**HON. CHAIRPERSON:** You have raised a very valid point.

**SHRI HASNAIN MASOODI:** But make the exercise meaningful.

**HON. CHAIRPERSON:** You have raised a very valid point.

... (*Interruptions*)

**SHRI HASNAIN MASOODI:** When you undertake an exercise, you do it with good intent. ... (*Interruptions*)

**HON. CHAIRPERSON:** My only request to all the Hon. Members who are going to speak is, confine your speech to three to four minutes because we have to ultimately take the decision of the House relating to the future of this Bill.

**SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI):** Sir, this is in accordance with Article 342 of the Constitution. In Karnataka, hardly 50 sets of Tribes are there. In addition to that, this is being added. It is okay. It is inevitable. For exclusion and inclusion from the List, it is a cumbersome process. Most of the hon. Members are talking about the necessity of bringing a comprehensive legislation. This process is also delay-bound. So, what I am suggesting is a comprehensive legislation will have to be enacted. Secondly, as we all know, the Scheduled Tribes account for 8.2 percent of our total population. We were debating what exactly was the source of their problem. Would simply adding an entry to the List solve their problems? Their problems are backwardness, geographical isolation, literacy, and health-related activities. If you take all these yardsticks together, they are in very poor condition. The Government has come forward with some welfare measures for them. To an extent, it is very good. They have formulated various welfare schemes for the upliftment of the STs. Post-matric scholarships, scholarships at the national level, fellowships, and concessions for students to avail themselves of loans are available to them. But we have to see whether all these schemes are effective or not. For the record, it may be okay. Are they enjoying them? Are there any middlemen between them? All these have to be discussed in detail. So, we have to ensure that all these welfare schemes are properly implemented. With regard to the pre-metric scholarship, which is given by the Ministry of Social Justice and Empowerment and the Ministry of Tribal Affairs. Why have you stopped it? What benefit would you get by doing that? I would request the Government to have a rethink on this. I would like to request that the government not to disturb the underprivileged members of society. That is my humble submission. The other thing is that they are exploited in many ways because they have no education. The important thing is to preserve their culture and identity, which is not their own; that is the asset of the nation. What I am strongly appealing for is to preserve their culture and identity. Some adulteration is going on. The Government should be very clear. The Government must have a vision for that. That is my humble submission. In conclusion, I would like to humbly state that they are poor people; they are backward like anything; their voices have to be guarded.

**SHRI S.C. UDASI (HAVERI):** Sir, the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fourth Amendment) Bill, 2022, to further amend the Constitution (Scheduled Tribe) Order, 1950, in relation to the State of

Karnataka to include Betta-Kuruba as a synonym for the Kadu Kuruba at serial No.16 in the list of Scheduled Tribes of Karnataka was introduced in Lok Sabha on December 9, 2022.

Today, it has come up for consideration in Lok Sabha. On behalf of the people of Karnataka, I thank the hon. Prime Minister, Narendra Modi *ji*, Munda *ji*, and also the Chief Minister, Basavaraj Bommai *ji* for having brought this Bill for passage in Parliament today.

Sir, I will be brief because of time constraint. The first list of STs in respect of Karnataka was notified on 06.09.1950 and was further notified with amendments on 19.03.2020. The list of ST communities in the State of Karnataka is in Annexure P-10 of the Cabinet Note. A brief history is as follows. A proposal was sent by the Government of Karnataka on 30<sup>th</sup> January, 2019, which was supported by ORGI on 23.07.2019. An advance copy was sent to PMO and Cabinet Secretary on 09.09.2022. The final copies were sent to the Cabinet Secretary on 12.09.2022. The Cabinet approved this on 14.09.2022 and then it was introduced on 9th December, 2022.

Sir, Betta-Kuruba in the State of Karnataka is a small community. They are about 5000 people found in the districts of Mysuru, Chamarajanagar, and Kodagu districts. They are economically backward. They suffer from lack of education. Their occupation involves collection of forest produce and bamboo. They have their own dialect with no script. They use primitive hunting tools. They have a distinct culture. They follow animism. They go to forests to collect bamboo, forest produce, firewood etc. and before going to forests, they seek permission from Betta Devuru to protect them from the attack of wild animals. They are all non-vegetarians and eat all that is available. They catch small animals like monitor lizard, mongoose, and ant-eaters from their holes and burrows by wrapping a cloth around their hands.

As I said earlier, they follow animism and are the worshippers of the sun, moon, air, water, plant, trees, animals, and earth. They also celebrate festivals like Suggi Habba and Ugadi. They have their own ethnomedical practices.

Their census in India states that the Kadu Kuruba community of Mysore is divided into Betta, Hilla Kuruba or Jenu Kuruba. In this regard, the hon. Prime Minister and the Chief Minister of Karnataka have given this opportunity for them to be included in the list. As Mr. Basheer was speaking about the inclusion of this tribe, this is the Bill for the inclusion of the Kadu Kuruba community. Through this Bill, their living standard will improve, they will get education and their social structure in the hierarchy will improve. A last mile justice will be done. Their inclusion is paramount to this country and the hon. Prime Minister is also doing the same for the country.

I use this opportunity to appreciate the support given by the hon. Chief Minister of Karnataka, Shri Basavaraj Bommai, to increase reservation for Scheduled Tribes from 3 per cent to 7 per cent and for Scheduled Castes from 15 per cent to 17 per cent. This move was welcomed by the entire State of Karnataka. Regarding reservation which is having a lot of discussion nowadays in the entire country, a holistic approach should be taken so that the communities which are asking for reservation should be considered.

One issue was raised by the hon. Member as to what happened to Gonda Kuruba. The Government of Karnataka has also sent a proposal for that to the Government of India which is under consideration.

I thank once again the hon. Prime Minister for having this amendment Bill amended today.

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM):** Sir, I fully support this Bill. But I would like to mention certain very important aspects regarding the legislative practice. Regarding this Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fourth Amendment) Bill, 2022, yesterday, two Bills of the same character were passed. We are coming for another Bill now. This Government is always a government of

contradictions. This Government is giving least priority to the seriousness of the legislative practice.

The callous way in which the Bills are being pushed in this House is quite unfortunate. It is never heard in the legislative history of Indian Parliament. Why am I saying this? Today morning, the hon. Law Minister has introduced a Bill – the Repealing and Amending Bill, 2022 – in which more than 100 Acts including Appropriation Acts are sought to be abolished. They want to minimise the number of Acts in the Register of Legislations. However, on the same day, the Government is pushing in the House four Bills of the same character, more or less with the same nomenclature and content, and each Bill is being allotted separate time slots and the time of the legislature is being spent discussing all of them individually. This is a very bad and unhealthy legislative practice. That is why I say that the Government has no business, the Government has nothing to do. Several Bills are pending. However, we are discussing four separate Bills of the same character one after the other every day. That means the Government is not giving any serious attention to the legislative practice. That is my first objection.

**HON. CHAIRPERSON:** But you have to give credit to the Tribal Affairs Minister.

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN:** Definitely, Sir. The Tribal Affairs Minister is sitting here and he is patiently hearing all of us and responding to all the Members. We are thankful to the Minister.

I have a request to the hon. Minister. In every State – in Karnataka, Himachal Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan, and even in my State – such issues are there. I, therefore, request the Minister to bring a comprehensive legislation in this regard. Let the hon. Minister take the initiative. There is the National Commission for Scheduled Tribes.

Entrust the Commission with the responsibility to find out all these issues in consultation with the States and bring a comprehensive legislation so as to avoid all

these difficulties. That is the first suggestion which I would like to make.

Sir, if we come to the contents of the Bill, what is the impact of inclusion of certain communities in the list of Scheduled Tribes by virtue of Articles 342 and 346 of the Constitution? Articles 342 and 346 deal with the Scheduled Tribes. What is the impact of a particular community being included in the list of Scheduled Tribes? It means that their culture, traditions, employment, education have to be protected for the welfare of these deprived sections of the society.

Mr. Chairman, I would like to say that the Scheduled Tribes and the Scheduled Castes are the most deprived sections of the society compared to Other Backward Communities or other communities. But it is quite unfortunate to say that even after 75 years of Independence, this discrimination is still there. If you examine, after 1991, the facility of reservation which is available to Scheduled Castes and Scheduled Tribes has indirectly been taken away because of the neo-liberal economic policies. What is the policy? The globalisation has its direct impact on the poor Scheduled Caste and Scheduled Tribe people because of rampant and indiscriminate privatisation of public sector undertakings. Unaided educational institutions are blooming like anything. Education and employment are the two aspects through which social and financial empowerment of a particular community can be ensured. But you are having rampant privatisation, you are downsizing the government. BSNL has been downsized. About 75,000 people have been removed. Who is affected? It is the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe people who are affected badly.

There is no positive impact now of including a particular community in the list of Scheduled Tribes or Scheduled Castes because there are no jobs, there are no education facilities. Everything is being rampantly privatised. In such a situation, mere inclusion of a community in this list will not serve the purpose of social justice. You have to change the policies accordingly. My last point relates to what E.T. Mohammad Basheer sahab has said. Maulana Abul Kalam Fellowship for

research students is being scrapped. Pre-matric scholarship for the Scheduled Tribes is taken away.

I urge upon the Government to kindly reintroduce it. It is the necessity and need of the students who are marginalised because of social and historical reasons. If social justice has to be achieved, definitely, these things should be continued. With these words, I support the Bill. Thank you very much, Sir.

**SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT):** Thank you, Chairman, Sir. I rise to speak on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fourth Amendment) Bill, 2022. This Bill seeks to include “Betta-Kuruba” community in the list of Scheduled Tribes. We welcome the Bill. हम इस बिल का स्वागत करते हैं। हम लोग बहुत दिनों से इसके लिए ट्राई कर रहे थे। सिद्धारमैया जी जब मुख्यमंत्री थे, हम लोगों ने बार-बार लिखा था। हम लोग इसका सपोर्ट करते हैं। At the outset, I had raised many concerns in my last speech. पिछली बिल पर चर्चा हो रही थी, तब मैंने कई सारी बातें उठाई थीं। मैं इस पार्टिकुलर चीज को I want to read a few lines from the speeches of one of my heroes who, I think, represented the tribals in the Constituent Assembly. जयपाल सिंह मुंडा जी, जो झारखंड से आते थे, हम सबके प्यारे थे। I read his speeches in the Constituent Assembly. I was always inspired by him. He said, “As an *Adivasi*, I am not expected to understand the legal intricacies of the Resolution. जो कन्सटीट्यूट रिजर्वेशन असेम्बली में लेकर आए थे, But my common sense tells me that every one of us should march on that road of freedom and fight together. Sir, if there is any group of Indian people that has been shabbily treated, it is my people, the tribals. They have been disgracefully treated, neglected for the last 6,000 years. The history of the Indus Valley civilization, a child of which I am, shows quite clearly that it is the new comers – most of you here are intruders as far as I am concerned – who have driven away my people from the Indus Valley to the jungle fastnesses. The whole history of my people is one of continuous exploitation and dispossession by the non-aboriginals of India punctuated by rebellions and

disorder, and yet I take Pandit Jawaharlal Nehru at his word. I take you all at your word that now we are going to start a new chapter, a new chapter of Independent India where there is equality of opportunity, where no one would be neglected.” यह जयपाल मुंडा जी ने कन्सटीट्यूट असेम्बली के डिक्लेरेशन में बोला था । मैं बार-बार उठाने की कोशिश कर रहा हूँ । हम लोग आजादी के अमृत महोत्सव का 75 साल मना रहे हैं । केवल रिजर्वेशन देकर, केवल इस सरकार ने नहीं, कई सरकारों ने किया है, यह काफी नहीं है । जल, जंगल, जमीन, पानी और पर्वत सब हमारा है । धीरे-धीरे करके ये सब हमारे हाथ से जा रहा है, एक आदिवासी को जब तक उसकी जमीन नहीं है, तब तक उसका कोई वजूद नहीं है, कोई औकात नहीं है । Different Governments tried multiple things. I seek your protection in giving me some time. Different Governments did multiple things. Pandit Nehru *ji* brought reservation under Constitution. अम्बेडकर जी लेकर आये थे । Indira Gandhi *ji* was considered as the biggest tribal leader in India. पता है, क्यों?

She gave land to the tribals; she gave houses to the tribals; she gave loans to the tribals. मैं कार्तिक उरावं जी की भी बात कर रहा हूँ । कार्तिक उरावं जी वर्ष 1966 में लोका कमेटी के बारे में जो बोले थे, अभी दो दिन पहले एक बिल लेकर आये, उसमें आप बोले कि एससी/एसटी एक है । नहीं, एससी/एसटी अलग है, एससी प्रिमिटिव ट्राइब है, आदिवासी है, कल्चर है? नहीं है । आप हिमाचल प्रदेश के लिए क्या बिल लेकर आए हैं? जो एसटी है, नहीं है तो एससी को दे दो । उरावं जी का यही लोग खंडन कर रहे हैं ।

दूसरी बात, आदिवासियों को जमीन देने के लिए राजीव गांधी जी इंदिरा आवास योजना लेकर आए, आपने इसे प्रधान मंत्री आवास योजना में चेंज कर दिया, ठीक है । कांग्रेस पार्टी हमेशा यही चाहती है कि कैसे आदिवासियों को अधिकार दिए जाएं, पैसा, जंगल, कानून के अधिकार आदि । ... (व्यवधान) मुझे आरक्षण चाहिए ।

अभी प्रेमचन्द्रन जी बोले कि क्यों दो-दो घंटे डिसकशन कर रहे हैं? मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, यह इतना बड़ा मुद्दा है । आप खुद जातियों को आदिवासी बनाकर ला रहे हैं, लेकिन बजट में इम्प्रूवमेंट नहीं है । छत्तीसगढ़ की सरकार ने 32 परसेंट आरक्षण दिया । आपके गवर्नर साइन करने के लिए तैयार नहीं हैं । ... (व्यवधान) नौवीं सूची में लेकर आओ । ... (व्यवधान) Sir, please give me two minutes more to wrap up.

**माननीय सभापति:** हमने तीन से चार मिनट बोलने के लिए कहा था । आप ऑलरेडी पांच मिनट बोल चुके हैं ।

... (व्यवधान)

**श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:** महोदय, जब भी मैं बोलता हूं, मंत्री जी मुझे दिखते नहीं हैं । मेरी उनसे रिक्वेस्ट है ।

कांग्रेस पार्टी हमेशा यह विश्वास करती है कि आदिवासियों को अधिकार दे, लेकिन जो इंटरवेंशन हो रहा है, एक-एक करके सारे अधिकार जा रहे हैं । आप बिल लेकर आए हैं, मुझे पांच साल हो रहे हैं, आप एक बिल लेकर आए जिसमें आदिवासियों की तरफ से हम बात कर सकें, चर्चा कर सकें । 47 एमपीज़ हैं, आदिवासी हैं, हम चर्चा कर सकें कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं । कांग्रेस पार्टी ने अधिकार देने स्टार्ट किए, पैसा, फोरेस्ट राइट, उसे खत्म मत करो, आगे लेकर आओ । मैं आदिवासी हूं, मैं बैंक में मॉर्टगेज के लिए अपनी जगह और जमीन के लिए तैयार नहीं हूं, इसके लिए आप कुछ लेकर आओ ।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । हम पूर्व मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैय्या जी का बहुत समर्थन करते हैं । हम राहुल जी, सोनिया गांधी जी को इस ट्राइब को आदिवासी की मान्यता देने के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं । धन्यवाद ।

**HON. CHAIRPERSON:** You have raised a point that you wish to discuss issues related to tribal affairs. I think, your Leader is very much present here. During the Budget Session, when discussion on the Demands for Grants will be taken up, it will be a good subject that can be deliberated upon.

**श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर):** माननीय सभापति जी, आपने आज संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (चौथा संशोधन) विधेयक, 2022 पर चर्चा हो रही है, इसमें मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद ।

कर्नाटक में बेट्टा कुर्बा अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ने का बिल है । यह खुशी की बात है कि लगातार तीसरा ट्राइबल बिल है, जिसमें अलग-अलग राज्य के बिल आए हैं । मुझ से पूर्व कई विद्वानों ने अपनी बात रखी है, निश्चित रूप से आज देश में ट्राइबल्स, एससी,

एसटी, ओबीसी को अधिकार दिए गए हैं। जिन परिस्थितियों में ट्राइबल्स, आदिवासियों की बात दोनों तरफ से उठी है और अधिकारों की बात भी उठी, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज भी केंद्र सेवाओं में ट्राइबल्स की नौकरियां खाली हैं।

मैं राजस्थान से आता हूँ, यहां आदिवासियों की बड़ी संख्या है, बड़े इलाके हैं लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है उनको हक और अधिकार नहीं मिले हैं। देश में कई जगह ऐसी स्थिति है कि कोई एक जाति तो ट्राइबल में आ गई, लेकिन दूसरी जातियों का आरक्षण खा गई, उनको आगे ही नहीं आने दिया। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देश में कई जगह ऐसा देखने को मिला है।

मेरा कहना है कि जो अत्यंत पिछड़ी आदिवासी जातियां हैं, जैसे पोर्टब्लेयर में झाड़वा, बिहार और झारखंड में पाड़िया, विलुप्त हो रही हैं। इनको कैसे मुख्यधारा में लाया जाए? इन जातियों के लोगों को 100 परसेंट आरक्षण मिलना चाहिए। इनको वर्ल्ड भर से लोग देखने आते हैं। इनका प्रकृति के प्रति प्रेम है। लोग एक तरह से उनका रहन-सहन और संस्कृति देखने जाते हैं। जहां तक झाड़वा की बात है, हर व्यक्ति चाहता है कि पोर्टब्लेयर जाए और इन जातियों को देखे। दुर्भाग्य की बात है कि ये जातियां धीरे-धीरे विलुप्त हो रही हैं, इनको कैसे बचाया जाए? एजुकेशन के लिए सभी सरकारें प्रयोग कर रही हैं, लेकिन इनकी ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि 100 परसेंट इन जातियों को आरक्षण मिले। डिलिमिटेशन झारखंड में नहीं हुआ, इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि आदिवासियों की संख्या कम होती जा रही थी।

सभापति महोदय, वर्ष 2013 में राजस्थान में मानगढ़, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है कि मानगढ़ में 1700 से ज्यादा आदिवासी भाइयों को, वहां कई क्रांतिकारी हुए, वे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए एक सभा कर रहे थे, वह जलियांवाला बाग से भी बड़ी घटना थी, अंग्रेजों ने उन्हें घेरकर उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं और मानगढ़ के अंदर 1700 से ज्यादा आदिवासी भाई वर्ष 1913 में शहीद हो गए। प्रधान मंत्री जी वहां गए थे। वह गुजरात का बॉर्डर है और मध्य प्रदेश का भी बॉर्डर है। मैं मांग करूंगा कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। यह पूरे देश के आदिवासियों और तमाम लोगों की आस्था का मामला है। यह मेरी मांग रहेगी।

सभापति महोदय, एसटी को साढ़े सात परसेंट का आरक्षण दिया गया है । मैं मांग करूंगा कि एसटी के आरक्षण को बढ़ाकर दस परसेंट किया जाना चाहिए ।

कुछ और भी इश्यूज हैं । समाज के प्रत्येक नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों के साथ-साथ मूल कर्तव्यों का भी बोध होना आवश्यक है । एक जनजागरण अभियान चलाकर लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए । महोदय, हमारे राजस्थान के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट है । जिस इलाके से हम लोग आते हैं वहां मेघवाल समाज की बहुत बड़ी संख्या है । लेकिन, वहां पढ़ाई का माहौल नहीं था और शिक्षा भी नहीं थी, इसलिए वे लोग आरक्षण में नहीं आ सके । पूर्वी राजस्थान का एक हिस्सा था । एक जनजागरण अभियान चलाकर एससी/एसटी को अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी के लिए कैसे उनको लाभान्वित करें, इसके लिए सरकार को समय-समय पर योजना चलानी चाहिए । जब तक दलित समुदाय और ट्राइबल में शिक्षा की लौ नहीं जलेगी, तब तक उनका सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से विकास असंभव है । समुदाय की काया पलट करने के लिए उसमें व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वास, पिछड़ेपन और गरीबी को दूर करने की जरूरत है । इसके लिए समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ-साथ स्थानीय बुद्धिजीवियों, शिक्षकों और समाज कर्मियों के अलावा जनप्रतिनिधियों एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों को भी मजबूत पहल करने की जरूरत है । तब जाकर एक स्वस्थ समाज और देश की कल्पना की जा सकती है । सभापति महोदय, मैं आपको राजस्थान का किस्सा बताता हूं ।

**माननीय सभापति:** बेनीवाल जी धन्यवाद । आपका पांच मिनट हो गया ।

**श्री हनुमान बेनीवाल:** सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं । आप मुझे एक मिनट का समय दे दी दीजिए ।

**माननीय सभापति:** आपका टाइम हो गया ।

**श्री हनुमान बेनीवाल:** सभापति महोदय, मैं आधा मिनट लूंगा । आपने सभी को टाइम दिया है । आपको राजस्थान का एक किस्सा सुनाता हूं । कार्तिक भील जो ट्राइबल से आता है, उसकी हत्या की गई ।... (व्यवधान) एक मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए । वहां अधीर रंजन जी के नेता की पूरे राजस्थान में 'भारत जोड़ो यात्रा' चल रही थी । कार्तिक भील का परिवार डेड बॉडी लेकर 15 दिन तक बैठा रहा । उसने कहा कि मुझे सिर्फ राहुल गांधी जी से या मुख्य मंत्री जी से मिलवा दो । लेकिन, उसको नहीं मिलने दिया । कांग्रेस के नेताओं के

इशारे पर सारे मुल्जिमों को निकाल दिया गया । आजादी के 75 साल बाद आदिवासियों की यह स्थिति है । आप आदिवासियों के हितों की बात कर रहे हैं ।

**माननीय सभापति:** अब हो गया आपका ।

**श्री हनुमान बेनीवाल:** सभापति महोदय, कार्तिक भील के परिवार को न्याय मिले, यह मैं मांग करता हूं । मैं बिल का समर्थन करता हूं । ... (व्यवधान)

**माननीय सभापति:** आपने समर्थन दे दिया । आपका हो गया ।

**SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR):** Sir, that should be deleted please. ... (*Interruptions*)

**माननीय सभापति:** स्टेट सब्जेक्ट रेकॉर्ड में नहीं रहेगा ।

**श्री जुएल ओराम (सुंदरगढ़):** सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मैं भारत सरकार का पहला जनजातीय मंत्री रहा हूं और मैंने दो बार इस मिनिस्ट्री को हैंडल किया है । मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा । उस समय कुछ सजेशन को करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह मूव नहीं हो पाया । इसलिए, मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूं । एक तो अभी की व्यवस्था के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट के रेकमेंड करने बाद हम लोग रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का ओपिनियम और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का ओपिनियम लेते हैं । लेकिन, कभी-कभी स्टेट गवर्नमेंट बीच-बीच में एक और रेकमेंडेशन कर देता है, ऐसा देखने में आया है । महाराष्ट्र में तो एक स्टेट गवर्नमेंट ने एक कम्युनिटी को रेकमेंड कर दिया था, लेकिन बीच में उसको विड़ा भी कर दिया । इसलिए, वह आगे नहीं बढ़ पाया ।

मेरा माननीय मंत्री जी को यह सजेशन रहेगा कि यदि एक बार स्टेट गवर्नमेंट ने रेकमेंड कर दिया है तो स्टेट गवर्नमेंट के रेकमेंडेशन को फाइनल माना जाए । केवल दो ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम सेंसस कमीशन भी कहते हैं और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इन दोनों का ओपिनियम लेने के बाद स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ओपिनियम दे या फाइनल डिसीजन ले, वह पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव हो सकता है । अगर पॉजिटिव होता है तो वह कैबिनेट में जाता है । कैबिनेट से पास

होने के बाद बिल ड्राफ्ट होकर आपके यहां आता है । बिल पास होने के बाद उस पर राष्ट्रपति जी का दस्तखत होता है ।

जो-जो राज्य सरकारें रेकमेंड कर चुकी हैं, मैं पर्टिकुलरी ओडिशा के बारे में बोलना चाहता हूं । ये जो रेकमेंडेशन आया है, इसके बारे में ओडिशा से एक बार फिर कोई ओपेनियन मांगा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए । चाहे कोई भी राज्य हो, मैं आपके सामने ओडिशा का उदाहरण देता हूं । मैं महाराष्ट्र के लिए भी कहता हूं, बाकी राज्यों के बारे में भी है । जैसा कि मैंने बताया है, जब मैं मंत्री था, उस समय सन् 1950 का शेड्यूल बना था । उसके बाद बीच-बीच में थोड़ा-सा छोटा-छोटा अमेंडमेंट इन्क्लूजन और एक्सक्लूजन हुआ था । जो रिविजन हुआ, जब मैं मंत्री थी, मैंने उस समय 270 कम्युनिटीज़ का एक्सक्लूजन और इन्क्लूजन किया था । एक्सक्लूजन तो 10 कम्युनिटीज़ का था, बाकी में कुछ माइनर मॉडिफिकेशन और न्यू इन्क्लूजन भी था ।

अभी मंत्री जी जो बिल लेकर आए हैं, मैं इसका स्वागत करता हूं । इसमें तो इन्क्लूजन का नहीं है । ये केवल एक माइनर करेक्शन है । मैं इसमें माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं । जब मैं मंत्री था, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कंवर लिखते हैं, तो Kwnwar भी लिखा गया और Kwar भी लिखा गया । वहां के जो अधिकारीगण थे, उन्होंने कहा कि ये तो कंवर नहीं है । इसलिए इसको ट्रांसलिंग्वल किया जाए । हम लोग मूलतः अंग्रेजी में इस लिस्ट को इन्क्लूड कर रहे हैं । इसको अंग्रेजी में न किया जाए, बल्कि इसको हिन्दी में इन्क्लूड किया जाए । आप ब्रैकेट में इंग्लिश को रख सकते हैं । फाइनली ब्रैकेट में वहां की रीजनल भाषा में लिखा जाए ।

जैसे मैं अपनी कम्युनिटी के बारे में बताना चाहता हूं । शेड्यूल में Oraon है । हम लोग Oraon कम्युनिटी ओड़िया भाषा में नहीं लिख सकते हैं । हम लोग ओराम लिखते हैं, तो वह Oram होता है । शास्त्रों में लिखा है कि - चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । हम जिस तरह का काम करते थे, उस तरह से होता था । आप जानते हैं कि ओराम लोग कभी-कभी लोहरा का काम भी करते थे । दूसरे के घरों में जो काम करता है, उसको धनगर बोलते हैं । महाराष्ट्र में धनगढ़ और धनगर के बीच में लड़ाई चल रही है । इसी तरह का है ।

अभी उलाका जी ने उसके बारे में बताया है । सावर, लांजिया साओरा भी है, सौरा भी है । मैंने उस समय बहुत से करेक्शन्स किए थे । ये जो फोनेटिक वैरिएशन है या उस समय वे लोग समझ नहीं पाए । पटवारी नोट करता गया कि आपकी जाति क्या है, तब किसी ने ओराम बताया, किसी ने धनगर बता दिया, किसी ने अपने प्रोफेशन के हिसाब कुछ और बता दिया । जैसे किसान और कोड़ा किसान है । मैंने कोड़ा में करेक्शन किया था । जो किसान हैं, वहां जो मिट्टी खोदने के लिए जाते हैं, तो उनको कोड़ा बोलते हैं ।

वह कोड़ा किसान है, सिर्फ कोड़ा लिखा है। इस तरह के जो फोनेटिक वैरिएशन्स हैं, उससे निजात पाने के लिए ट्रॉइलिंग्वल होना चाहिए। ऐसा मेरा सुझाव है।

जब मैं मंत्री थी, तब मैंने शायद एक बार इसका ऑर्डर भी किया था। मंत्री जी उसको देख सकते हैं। ये फोनेटिक वैरिएशन या स्पेलिंग का वैरिएशन है। आप हिन्दी में जो लिखेंगे और जो अंग्रेजी में लिखेंगे, तो उसमें वैरिएशन होगा ही होगा। उसको सही करने के लिए एक बार सोचा जाए। अगर जरूरत पड़े, तो एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई जाए और इसको ट्रॉइलिंग्वल किया जाए, तो ठीक होगा। ये मेरे तीन सुझाव हैं।

अगर राज्य सरकार एक बार रेकमेंड कर दे, तो दोबारा राज्य सरकार को नहीं कहना चाहिए। आरजेई और कमीशन के रेकमेंड के आधार पर ही मंत्रालय का ओपेनियन देकर इसको करना चाहिए। अगर एक बार स्टेट गवर्नमेंट रेकमेंड कर दे, तो उसको विद्‌ड्रॉ करने या रि कॉल या रिपील करने का अधिकार नहीं देना चाहिए। जब कोई सरकार आती है, तो वह एक कम्युनिटी को रेकमेंड कर देती है। जब वही सरकार दोबारा नहीं आ पाती है, चुनाव में कुछ और रिजल्ट आता है, तो दूसरी सरकार उसको विद्‌ड्रॉ भी कर देती है। Government is a continuous process. अगर एक बार सरकार कोई रेकमेंडेशन दे देती है, तो उसके बाद उसको रिपील या विद्‌ड्रॉ करने का अधिकार नहीं देना चाहिए। ये मेरे सुझाव हैं। मान्यवर मंत्री जी इसको देखेंगे।

सर, अभी हमारे सांसद साथी उलाका जी बोल रहे थे। मैं एक मिनट में कुछ बताना चाहता हूँ। एक समय था, जब कांग्रेस पार्टी में सबसे टॉलेस्ट लीडर्स थे। मैं जानकारी के लिए कुछेक लीडर्स का नाम बता देता हूँ। उनमें पी.ए.संगमा थे, अरविंद नेताम, कार्तिक उरांव तथा दिलीप सिंह भुरिया जैसे बहुत सारे लीडर्स थे। लेकिन वे हम गरीब लोगों को खाने के लिए बकरा, मुर्गा देते थे और फिर लोग समझ गए कि कांग्रेस पार्टी हमारे लिए क्या चाहती है। इसलिए हमने उस पार्टी को छोड़ दिया। आज सबसे ज्यादा एमपी हमारे हैं। आज भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मू है।

**श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण):** माननीय चेयरमैन सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fourth Amendment) Bill, 2022 का स्वागत करता हूँ। मैं बस एक ही बात कहूंगा कि सरकार जो नीति अपना रही है, वह स्वागत योग्य है, लेकिन इस आरक्षण को देने के बाद उसका जो इम्पैक्ट होगा, वह हमें महसूस होना चाहिए तो क्या वह होगा? सर, आप जानते हैं कि आरक्षण में 50 प्रतिशत की मर्यादा रखी गई है। महाराष्ट्र ने उस 50 प्रतिशत का उल्लंघन कर दिया है। तमिलनाडु ने 60 परसेंट तक मर्यादा रखी है। यह जो कंफ्रंटेशन है, इसे भी खत्म करने की आवश्यकता है। आज आप देखिए कि कर्नाटक के लिए जिस ढंग से देश के संविधान में हम इसे अंतर्भूत कर रहे हैं तो

हम अपेक्षा करते हैं कि संविधान की रक्षा हो । आज कर्नाटक में क्या हो रहा है? वहां माइनोरिटी कमीशन है तथा वहां के जो मराठी लोग मरे हैं, उनके संबंध में उसकी रिपोर्ट आती रहती है कि वहां पर कैसे अन्याय हो रहा है? इस बारे में कल बात हुई थी । माननीय गृह मंत्री जी दोनों को साथ में लाए, उनसे चर्चा की तथा उनको शांति बरतने के लिए कहा । उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट में जो यह मसला चल रहा है, वह चलने दो । उन्होंने ऐसा बोला है । जैसे यहां जंतर-मंतर पर लोग बैठते हैं, वैसे ही लोग वहां भी बैठे थे । उनका पंडाल भी तोड़ दिया तथा उनको अरेस्ट भी कर लिया ।... (व्यवधान) यहां हम संविधान का सम्मान रख रहे हैं, लोगों को इनक्लूड कर रहे हैं, लेकिन वे उधर मार रहे हैं ।... (व्यवधान) यह तरीका जो अपनाया जा रहा है, वह बहुत गलत है ।... (व्यवधान)

सर, मेरी अपेक्षा यही है कि अन्न, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों की ये पांच मूलभूत जरूरतें होती हैं । क्या इनको अनाज मिलता है, इन्हें वस्त्र मिलता है, इनको आवास मिलता है? प्रधान मंत्री आवास योजना में इनके लिए क्या है? हम उनको शिक्षा में क्या देने वाले हैं? अगर उनको शिक्षा नहीं मिली तो क्या होगा? वे लोग बहुत रिमोट प्लेस पर रहते हैं । जैसा कि डिजिटलाइजेशन की बात की गई है तो उनके पास नेट ही नहीं पहुंचता है । हमारे आदिवासी लोग कैसे पढ़ेंगे? उनको पढ़ने की आवश्यकता है । उसके लिए कॉर्पोरेट कल्चर को निकालना होगा । इस आरक्षण से क्या होगा? आपको चुनाव में फायदा मिलेगा । इससे नौकरी में फायदा कहां है? आप तो सारी कंपनियां बेच रहे हैं तो नौकरी कहां मिलने वाली है? आज पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन आ रहा है । इसलिए यह मेरा दर्द है । यह मेरी व्यथा है । मैं इस बिल का स्वागत तो करता हूँ, क्योंकि वे हमारे ही भाई हैं, लेकिन आप उन भाइयों को आगे चलकर क्या देने वाले हैं? क्या आपको कर्नाटक विधान सभा का चुनाव ध्यान में आ रहा है? आप यह देखिए कि वहां आगे क्या हालत होने वाली है ।... (व्यवधान) मैं इसके लिए यह कहना चाहता हूँ कि जो मर्यादा की बात है, जो 50 प्रतिशत की बात है, उसका उल्लंघन होगा । उसके बारे में भी माननीय मंत्री महोदय खासकर हमारे आदिवासियों को आरक्षण देते समय इसकी मर्यादा भी और बढ़ाएंगे तो उसका उन लोगों को लाभ होगा ।... (व्यवधान)

**17.59 hrs.**

(Shrimati Rama Devi in the Chair)

**श्री नव कुमार सरनीया (कोकराझार):** मैडम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ ।... (व्यवधान) सर, मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूँ । इसके साथ ही मेरा भारत सरकार से असम के बारे में थोड़ा आग्रह है । असम के जो Kewat लोग हैं जैसे Jalo Kewat, Maloi Kewat तो एससी में आते हैं । लेकिन उसका एक ग्रुप Haloi kewat हैं, वे लोग अभी भी एससी में नहीं है और उनकी मांग है कि उनको भी एससी में किया जाए । दूसरा, वहां पर जो Garia, Maria, desi, Janagosti कास्ट्स हैं, वे भी ओबीसी में आनी चाहिए । मैं माननीय मंत्री जी को आदिवासी के कुछ इश्यूज के बारे में बताना चाहता हूँ । स्पेशयली वे अपने लिए अलग से धर्मगत की मांग कर रहे हैं । वे चाहे Gond समाज हो, Sharna समाज हो, Bathou समाज हो, उनकी मांग है कि उनको अलग से धर्मगत दिया जाए । मैं इन मुद्दों पर माननीय मंत्री जी का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ।

**18.00 hrs.**

मैडम, मैंने यूपी के बारे में बोला था । यूपी के गोंड समाज को एससी से एसटी में लाया गया, उसके बाद वहां डिलिमिटेशन होना चाहिए । उससे कम से कम असेंबली में और संसद में उनको प्रतिनिधि मिलना चाहिए । इसके साथ ही, बिहार का एक मुद्दा आया है ।

**माननीय सभापति:** सभा की सहमति हो तो बिल पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए? अभी दो अन्य माननीय सदस्यों को बोलना है ।

**अनेक माननीय सदस्य:** जी, हां ।

**श्री नव कुमार सरनीया:** मैडम, बिहार का एक मुद्दा आया है । झारखण्ड अलग होने के बाद जो बिहार के आदिवासी लोग हैं, उनकी हालत अभी तक अच्छी नहीं है । उसमें फैमिलीज की जो जनसंख्या दिखाई गई, वह 4 लाख 23 हजार 560 है, लेकिन असली में वह संख्या 2 लाख 51 हजार 149 दिखाई गई । इसकी वजह से उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिला । यह विषय होम मिनिस्टर और ट्राइबल मिनिस्टर के भी संज्ञान में आया है । मेरी मांग है कि बिहार में भी डिलिमिटेशन होनी चाहिए और असली संख्या के आधार पर आदिवासियों को उनके हक मिलने चाहिए । मैडम, मैं सैटरडे को जो राजस्थान में कार्तिक भील को मारा गया, उसके घर जाकर आया हूँ । वह फैमिली अभी भी मांग कर रही है । उनकी जो मांग है, उसे पूरा किया जाए । यह दुख की बात है कि वहां की सरकार को जिस तरह से इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया । यह पूरा सेंसिटिव इश्यू है । वे लोग कल-परसों

दिल्ली में आएंगे और हम लोग जंतर-मंतर पर उसके लिए 21 तारीख को धरना भी आयोजित करेंगे। मेरी राजस्थान सरकार से यही उम्मीद है कि उसको पूरा हक मिले।

मैडम, हमारे कांग्रेस के एक बन्धु ने छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में बोला है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का 32 प्रतिशत समर्थन लिया गया। ... (व्यवधान)

**माननीय सभापति:** यह बिल कर्नाटक से संबंधित है।

**श्री नव कुमार सरनीया:** मैडम, छत्तीसगढ़ की बात आई थी, इसलिए मैंने यह मुद्दा उठाया है। वहां 'पेसा' कानून के बारे में इलेक्शन से पहले बोला गया था कि 'पेसा' कानून लागू होगा। अब छत्तीसगढ़ सरकार की बारी लगभग खत्म होने वाली है, अभी तक वह रूल नहीं बना है। जो कम से कम 5 हजार से ज्यादा लोग अभी नक्सलियों के रूप में जेल में बन्द हैं, इलेक्शन से पहले उनको छोड़ने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक उनको छोड़ा नहीं गया है। धन्यवाद।

**श्री सौमित्र खान (बिष्णुपुर):** मैडम, मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूँ। जब से आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार केन्द्र में अर्जुन मुंडा जी को लेकर आई है, ये सबका साथ, सबका विकास के मूल मंत्र पर कार्य कर रही है। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार अपने देश की जनता हेतु बहुत से काम कर चुकी है। जितने काम अनुसूचित वर्ग के लिए पिछले आठ साल में किए गए हैं, उतने कार्य पिछले 60 सालों में सरकारों द्वारा नहीं किए गए थे। मैं आपके सामने कुछ डेटा रखना चाहता हूँ, जैसे मुद्रा योजना में लगभग 10 लाख लाभार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग से हैं। स्टार्ट अप इंडिया में आप देखेंगे कि एक करोड़ से भी ज्यादा लोग एससी-एसटी समुदाय से बिलाँग करते हैं।

मैं अभी सुन रहा था कि किसी सांसद ने यह बात उठाई थी कि पहले से बजट कितना बढ़ा है, तो पहले 1100 करोड़ रुपये का बजट था और आज 6000 करोड़ रुपये का बजट हो चुका है। अनुसूचित जाति के लिए हमारे 32 हजार 428 गांवों से 7300 करोड़ रुपये की लागत से आइडियल विलेज बनाए गए हैं। माननीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी की सबसे बड़ी सफलता है – एकलव्य मॉडल स्कूल, पहले जिनकी संख्या 211 थी, वह संख्या आज बढ़कर 452 हो गई है।

प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि पूरा देश एक साथ आगे बढ़े । इसलिए वे आज जो डिजीजन लेते हैं, सबसे बड़ी बात है कि वह डिजीजन अनुसूचित जाति के लिए होता है ।

आज देखिएगा कि सेना में प्रवेश के लिए भी एससी/एसटी को संरक्षित किया है । बिरसा मुण्डा जी का जो सपना था कि भारत में ऊंचे पद पर महिला रहेगी तो आज वह एससी और एसटी समाज से हैं । आज द्रोपदी मुर्मु जी भी एसटी समाज की हैं । हम इस बिल को सपोर्ट करते हैं । अर्जुन मुण्डा जी के नेतृत्व में देश आगे जाएगा और एसटी समाज आगे जाएगा ।

**SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM):** Madam Chairperson, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on this Bill. After a long time, I got this opportunity.

I am supporting this Bill, and at the same, I congratulate the hon. Prime Minister for selecting a learned woman from the Scheduled Tribe community, Murmu-ji as the hon. President of India.

I have a very small request to make and within a minute I would conclude my speech. In this List, which has come for approval, in Karnataka a community by name 'Valmiki' has been added in the Scheduled Tribes List, and in Andhra Pradesh the same 'Valmiki (Boya)' community is there in the OBC List. Actually, when the State got separated as Karnataka and Andhra Pradesh in 1956, people who were on the Bellary side, the other part of Kurnool District, and had settled in Karnataka have been given the status of Scheduled Tribe whereas their brothers who have settled in Andhra Pradesh, come under the OBC category.

Our State Assembly has already recommended to consider them as a Scheduled Tribe community like in Karnataka. So, I would request the hon. Minister, Arjun Munda-ji to consider it at the earliest. I hope that we would also come soon to correct the anomaly.

With these words, I conclude. Thank you.

**जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा):** सभापति महोदया, कर्नाटक से संबंधित जो विधेयक सदन में लाया गया है, उस पर काफी विस्तृत चर्चा हुई है। माननीय सदस्य श्री कोडिकुत्रील सुरेश जी से लेकर रघु राम कृष्ण राजू जी तक लगभग 20 से अधिक वक्ताओं ने सुझाव दिए हैं और इस संवाद में भाग लिया है एवं अपने-अपने विचार रखे हैं। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि कुल मिलाकर सभी ने इस बिल का समर्थन किया है। यह कर्नाटक राज्य से संबंधित बिल है, जिसके संदर्भ में बताया गया है कि कर्नाटक राज्य में काडु कुरुबा अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में सम्मिलित है, उसमें पर्यायवाची शब्द बेट्टा कुरुबा को जोड़ा जाए। अभी सदन में उसकी जनसंख्या बताई गई।

महोदया, जब कल इसी सदन में तमिलनाडु और हिमाचल के संबंध में चर्चा हो रही थी, उस समय हमने इस विषय को सदन के सामने रखते हुए कहा था कि हम समस्या का समाधान चाहते हैं। आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की जनता के लिए सरकार काम कर रही है। विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान हो और देशवासियों को नए अवसर मिलें। ये देशवासी, सुदूरवासी, जिनकी आबादी बहुत कम है और वे संवैधानिक प्रावधानों से उपेक्षित रहे हैं, आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के माध्यम से उनकी आवाज बहुत लंबे कालखण्ड के बाद इस सदन तक पहुंची है। वैसे तो कई सदस्यों ने अपने सुझाव दिए हैं, मैं सबकी चर्चा करूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले प्रेमचन्द्रन जी की चर्चा करूंगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि देश के सभी राज्यों को मिलाकर एक बिल लेकर आना चाहिए।

कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक बिल सदन में आए और उस पर चर्चा हो। देश के माननीय प्रधान मंत्री, मोदी जी संवेदनशील हैं। उनकी संवेदनशीलता इस बात पर दिखती है कि सदन इस बात पर चर्चा करे - जिनकी संख्या बहुत कम है। आप इस सदन में उन समुदायों, उन लोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिनकी संख्या पांच हजार है, लेकिन वे संविधान से कोसों दूर हैं। हमें आजादी मिले 75 साल हो गए हैं, लेकिन उन पांच हजार लोगों को न्याय नहीं मिला। देश का संविधान कहता है, देश का लोकतंत्र कहता है - देश का हर नागरिक बराबरी का हिस्सेदार है। मौलिक सुविधाओं से हर किसी को सुसज्जित करते हुए, लोकतंत्र के आधार पर आगे बढ़ने का मौका सभी को मिले। इस प्रावधान के साथ देश की जनता ने इस संविधान को आत्मसात किया, स्वीकार किया, अंगीकार किया। जो लोग इससे उपेक्षित

रहे, उनका विश्वास और ज्यादा रहा। इसलिए वे 75 सालों तक इंतजार करते रहे कि कब नरेन्द्र भाई मोदी जी जैसे माननीय प्रधान मंत्री मिलेंगे, तब इस समस्या का समाधान होगा। कल जब तमिलनाडु से संबंधित विधेयक पर चर्चा हो रही थी, तो मैंने इस सदन में कहा कि उनकी आबादी सिर्फ 27 हजार है। सदन गरिमापूर्ण तरीके से, ऐसा एक भी व्यक्ति लोकतंत्र में वंचित न हो, इसका ध्यान रखते हुए सदन जिस दिन चर्चा करेगा, उस दिन भारत का लोकतंत्र दुनिया में अच्छे ढंग से प्रतिबिंबित होगा।

हम जी-20 का नेतृत्व कर रहे हैं, तो इस समय दुनिया को यह पता चलना चाहिए कि भारत हर व्यक्ति को बराबरी के दर्जे से देखता है। न्याय के तराजू में बराबरी के साथ, लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर सभी को मिले। यह भारत की लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी ताकत है। राष्ट्र का नेतृत्व नरेन्द्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि ऐसे दबे-कुचले सुदूरवर्ती क्षेत्र की आवाज यहां तक नहीं पहुंचती है, दिल्ली की अपनी आवाज है। नीलगिरी पहाड़ से कैसे आवाज यहां तक पहुंचेगी? उसको सुनने के लिए दिल की आवाज होनी चाहिए कि वह सुनाई दे। ऐसे स्पंदन को समझने वाले देश के पहले माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र भाई मोदी जी हैं। प्रेमचन्दरन जी सदन में कह रहे थे, यह बात सही है कि कई चीजें एक साथ लानी चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सब लोगों के बीच में उनकी आवाज दबनी नहीं चाहिए, जो शायद आवाज के इंतजार में हैं।

**18.13 hrs.**

(Hon. Speaker in the Chair)

इसलिए प्रत्येक राज्य की अपनी-अपनी सूची होती है। हम सेन्ट्रल लिस्ट सभी राज्यों को कम्पाइल करके बनाते हैं। सभी राज्यों की अपनी-अपनी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की सूची होती है। उसके आधार पर राज्य अपनी सूची प्रकाशित करते हुए, राज्य में कितना, किस तरीके से उन लोगों के लिए व्यवस्था की जा सकती है, उसके लिए राज्य अपनी नीति बनाता है।

आज हम कर्नाटक के संबंध में यह बिल लेकर आए हैं, वह इसलिए लेकर आए हैं कि यह सूची कर्नाटक राज्य की बनेगी और तब फिर केन्द्र की बनेगी। इसलिए हम प्रत्येक राज्य, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं इसके पहले कई राज्यों के बारे में बिल लेकर आए हैं। आज हम कर्नाटक के बारे में अलग-अलग तरीके से विस्तृत चर्चा

कर रहे हैं, ताकि जो लोग वर्षों से उपेक्षित रहे हैं, हम गरिमापूर्ण तरीके से, उन्हें न्याय दिलाने के लिए इस मंदिर में अच्छी तरह से चर्चा कर सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ बहुत-से लोगों ने चर्चा की थी। शुक्रवार को भी हमने इस बात को कहा था। उसमें बार-बार इस बात को कहा जा रहा था, मैंने कहा कि हमारे जो बजट प्रॉविज़न्स हैं, उसके आधार पर जो प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप है, उसे हमने उतरोत्तर बढ़ाया है। उसको आगे बढ़ाया गया है और उसके आधार पर लगातार राज्यों को हम एलॉटमेंट दे रहे हैं, विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं।

यदि बजट एस्टिमेट को देखें, तो वर्ष 2014 में लगभग पौने चार हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था थी, आज साढ़े आठ हजार करोड़ रुपए से अधिक बजट की व्यवस्था उसमें की है। यदि आप स्कॉलरशिप को ही देखें, तो वर्ष 2021-22 में चार सौ करोड़ रुपए, जिसमें फाइनल एलोकेशन 394 करोड़ रुपए था। लाभार्थियों की संख्या, जो पहले 10 लाख थी, वह 15 लाख हो गई। यह डेटा सार्वजनिक तौर पर है क्योंकि हम इन सारी चीजों को स्कॉलरशिप पोर्टल में डाल देते हैं। हम उनको डीबीटी के माध्यम से राशि देते हैं।

इस तरह से, माननीय सुरेश जी ने जो कहा, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह वोट बैंक की पॉलिसी नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की मर्यादा और ताकत है, जो इस सदन में चर्चा के माध्यम से दिखती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यही मूल उद्देश्य है।

माननीय सुरेश जी ने एक और बात कही कि आप एक तरफ सूची बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ बजट एलोकेशन घटा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि आप वर्ष 2013-14 के बजट एलोकेशन को देखें और वर्ष 2021-22 और 2022-23 के बजट एलोकेशन को देखें, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदी जी के नेतृत्व में, ट्राइबल डेवलपमेंट की क्या एप्रोच है।... (व्यवधान) आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। उस समय 19 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान था और आज 87 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान है।... (व्यवधान)

**डॉ. निशिकांत दुबे:** माननीय अधीर जी, यह मंत्रालय ही पहली बार माननीय अटल जी के समय में बनाया गया था।... (व्यवधान) पहले ट्राइबल का मंत्रालय नहीं था। इसे अटल जी ने बनाया था।... (व्यवधान)

**श्री अर्जुन मुंडा:** यह सरकार एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन में, स्वरोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और खास करके वर्ष 2019 से 2024 के बीच ट्राइबल्स के लिए डेडिकेटेड है ।

सबसे पुराने दल कांग्रेस के माननीय सदस्य बातें कर रहे थे । यदि आपको ट्राइबल के बारे में इतनी ही चिन्ता थी, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जब एक महिला जनजाति वर्ग से राष्ट्रपति के लिए प्रत्याशी के रूप में आ रही है, तो कम से कम अपने प्रत्याशी का नाम विदड़ा करवा लेते ।... (व्यवधान) उस समय आपने उनको हराने के लिए जितनी कोशिश करनी चाहिए... (व्यवधान) लेकिन उस समय आपको इस बात का ध्यान नहीं आया ।... (व्यवधान)

**श्री अधीर रंजन चौधरी:** चुनाव में हर पार्टी अपना उम्मीदवार देती है ।... (व्यवधान)

**श्री अर्जुन मुंडा:** इसलिए इनकी कहनी और कथनी में कितना अंतर है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं ।

माननीय सदस्य उलाका जी ने चर्चा की कि स्वर्गीय श्री जयपाल सिंह जी कॉन्सिट्युएंट असेंबली के मेंबर थे । कॉन्सिट्युएंट असेंबली में ट्राइबल इश्यूज पर कांस्टीट्यूशन प्रोविजन्स क्या होने चाहिए, इसके लिए ठक्कर बाबा के नेतृत्व में कमेटी गठित हुई । उस कमेटी ने रिकमन्डेशन्स दीं, बहुत सारे सुझाव दिए और उसके ऊपर डिबेट हुई, उस पर चर्चा हुई । यह बात सही है कि स्वर्गीय श्री जयपाल सिंह जी ने इस बात को उद्धृत करते हुए कहा कि इस देश में ट्राइबल को किस तरीके से देखा जाना चाहिए । लेकिन आपको इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि ट्राइबल को आपने किस ढंग से देखा । ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर माननीय पंडित नेहरू जी को स्वर्गीय श्री जयपाल सिंह जी ने कहा - “Partially, I agree with Pandit Nehru but you learn from the Tribals who are the most democratic people in the country.”

आप डेमोक्रेसी उनसे सीखिए । लोकतंत्र अगर सीखना है, तो उसे आप सीखिए, उनको सिखाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उसकी सहचर लाइफ है, आदमी के साथ तो रिलेशन रखता है, पेड़-पौधों के साथ भी रिलेशन रखता है । ... (व्यवधान) जीव-जंतु के साथ भी रिलेशन रखता है । ... (व्यवधान) लेकिन आपने क्या किया? ... (व्यवधान) संविधान सभा में उन्होंने एक बात कही । वे संविधान सभा में कैसे आए थे? वर्ष 1950 में उन्होंने झारखंड राज्य के बारे में झारखंड महासभा का गठन किया था, झारखंड पार्टी का गठन किया था ।

झारखंड पार्टी का गठन करने के बाद उनके साथ कैसा व्यवहार किया? वर्ष 1952 में फर्स्ट इलेक्शन हुआ। फर्स्ट इलेक्शन में झारखंड पार्टी के बिहार में सबसे अधिक सदस्य चुनाव जीतकर आए।

वर्ष 1957 में पहली बार जब लीडर ऑफ अपोजीशन बना, तो वह झारखंड पार्टी का बना। लेकिन वर्ष 1962 में पंडित नेहरू कहते हैं कि आप झारखंड बनाना चाहते हैं, तो कांग्रेस में आ जाइए। उनको कांग्रेस में सम्मिलित कराते हैं और झारखंड का बंटोधार कर देते हैं। ... (व्यवधान) वह सपना यदि पूरा हुआ, तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुआ। ... (व्यवधान) आपने स्वर्गीय श्री कार्तिक उरांव जी, जो कांग्रेस में रहे, जब वे प्राइवेट मेंबर बिल लेकर पार्लियामेंट में आए, तो आपने उनको भी बहकाया, बहलाया, फुसलाया और उनको दबाने की कोशिश की। ... (व्यवधान) यह भी इस सदन के इतिहास में है।

**श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:** सर, कोई आदिवासी कभी दबता नहीं है। ... (व्यवधान)

**श्री अर्जुन मुंडा:** अध्यक्ष महोदय, ये जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं, ये घड़ियाली आंसू बहाकर क्या बताना चाहते हैं? ... (व्यवधान) इसलिए, आज जब सदन गरिमापूर्ण तरीके से चर्चा कर रहा है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सदन के माननीय सदस्यों ने इसे अपना समर्थन दिया। इस बात के लिए मैं आभारी हूँ, लेकिन सत्य से मुकरना नहीं चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो आदिवासी है, वह हमेशा याद रखता है।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं आग्रह करता हूँ कि सदन में इस विधेयक को पारित किया जाए।

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN:** Mr. Speaker Sir, I have a point of order.

**माननीय अध्यक्ष:** रूल नंबर क्या है?

... (व्यवधान)

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN:** It is Rule 352 clause (vi) read with Rule 376.

**माननीय अध्यक्ष:** रूल नंबर 352 और 353 तो पढ़ रखा है।

... (व्यवधान)

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN:** Sir, it is very clear in Rule 352.

“A member while speaking shall not – (vi) use the President’s name for the purpose of influencing the debate.”

The hon. Minister, while responding to this debate, has used the name of the President of India saying that the Opposition Parties have opposed the candidature of Shrimati Droupadi Murmu, the hon. President. That cannot be used.

**माननीय अध्यक्ष:** आप विद्वान हैं । आप साथ में नियम 353 भी पढ़ लीजिए ।

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN:** I submit that Rule 352 may be read with Rule 376. It says that observation of the reference made by the hon. Minister may be expunged from the record. .... (*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष:** आपने व्याख्या की है कि राष्ट्रपति जी का नाम नहीं ले सकते हैं । आप साथ में यह भी देख लीजिए कि यदि कोई संदर्भ हो, तो नाम लिया जा सकता है । माननीय मंत्री जी ने संदर्भ पर बात कही थी ।

प्रश्न यह है:

“कि कर्नाटक राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में आशोधन करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**माननीय अध्यक्ष:** अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय मंत्री जी, अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए ।

**श्री अर्जुन मुंडा:** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

“कि विधेयक को पारित किया जाए ।”

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

“कि विधेयक को पारित किया जाए ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**माननीय अध्यक्ष:** सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 को प्रातः ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

**18.28 hrs.**

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on  
Tuesday, December 20, 2022/Agrahayana 29,1944 (Saka)*

**INTERNET**

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

<http://www.parliamentofindia.nic.in>

<http://www.loksabha.nic.in>

**LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA**

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

---

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business  
in Lok Sabha (Sixteenth Edition)

---

---

\* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

\* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

\* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

\*\* Introduced with the recommendation of the President.

\* Expunged as ordered by the Chair.

\*\* Not recorded as ordered by the Chair

\* Not recorded

\* Expunged as ordered by the Chair.